ఆంధ్రాబ్యాంక్
(భారత ప్రభుత్వ సంస్థ)
आन्ध्रा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
Andhra Bank
(A Govt. of India Undertaking)

आन्ध्रा बैंक Andhra Bank
प्रधान कार्यालय HEAD OFFICE
''डॉ. पट्टाभि भवन'' "Dr. PATTABHI BHAVAN"
5-9-11, सैफाबाद 5-9-11, SAIFABAD
हैदराबाद - 500 004. HYDERABAD - 500 094.

विभाग DEPT: Merchant Banking Division
Telefax 040-23230883;Tel.No.040-23252371
E-mail: mbd@andhrabank.co.in;

Lr.No.666/25/P.71V/553 Dt: 02.02.2018

The National Stock Exchange
Of India Limited
Exchange Plaza
Bandra Kurla Complex
Bandra (East)
Mumbai – 400 051.
Fax: 022-26598237/38
cmlist@nse.co.in;

SYMBOL: ANDHRABANK

Dear Sir,

Sub: Copy of the EGM NOTICE- Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank – Regulation 30 of SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Ref: Our Lr.No. 666/25/P.71V/534 dated 29.01.2018

Further to our letter no. 666/25/P.71V/534 dated January 29, 2018, we enclose copy of Notice of the Extraordinary General Meeting proposed to be convened on Monday, March 12, 2018, at 11.00 A.M. at Andhra Bank Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500004.

This is for your information and records.

Yours sincerely,

(Ruchi R)
कंपनी सचिव Company Secretary

Encl: as above

Andhra Bank M.B. Division HYDERABAD

आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank

असाधारण सामान्य बैठक

सोमवार, 12.03.2018, को सुबह 11.00 बज़े

स्थान : प्रधान कार्यालय : डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

on

Monday, 12.03.2018 at 11.00 am

at

Head Office : Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004

प्रधान कार्यालय : डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

आन्ध्रा बैंक
Andhra Bank

विषय सूची
CONTENTS

पृष्ठ संख्या
Page No.

सूचना 1
NOTICE 25

सूचना से संबंधित टिप्पणियाँ 1
NOTES TO NOTICE 25

उपस्थिति पर्ची, प्रवेश पास 22
ATTENDANCE SLIP, ENTRY PASS 46

प्रॉक्सी फार्म 23
PROXY FORM 47

IMPORTANT CALENDAR OF EVENTS	
Specified Date for ascertaining the shareholders entitled to participate in the election	Friday, 09th February, 2018
Last date for submission of nomination forms on or before	Friday, 23rd February, 2018 (Upto 5.00 p.m.)
Scrutiny of Nominations	Monday, 26th February, 2018
Remote E-Voting	Friday, 09th March, 2018 (From 10.00 a.m.) to Sunday, 11th March, 2018 (Till 05.00 p.m.)
Last date of receipt of Proxy Forms and resolutions appointing Authorised Representatives	Wednesday, 7th March, 2018 (Upto 5.00 p.m.)
Date and time of Extraordinary General Meeting	Monday, 12th March, 2018 (At 11.00 a.m.)

प्रधान कार्यालय : डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.
शेयरधारक एवं निवेशक संपर्क अनुभाग: डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.
रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट : मेसर्स एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लि. युनिटः आन्ध्रा बैंक, 002, भू-तल, काशीराम जमनादास बिल्डिंग 5, पी डिमेलो रोड, मस्जिद पूर्व, मुम्बई – 400 009

Head Office : Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.
Shareholders & Investor Relation Section: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.
Registrar & Share Transfer Agents : M/s. MCS SHARE TRANSFER AGENT LIMITED, UNIT: ANDHRA BANK, 002, GROUND FLOOR, KASHIRAM JAMNADAS BLDG., 5, P.D'MELLO ROAD, MASJID EAST, MUMBAI - 400 009. Ph. No. 022-40206020/22/23/24, Fax No. 022-40206021

आन्ध्रा बैंक

शेयरधारक एवं निवेशक संबंध कक्ष

प्रधान कार्यालय : डॉ पट्टाभि भवन

5-9-11, सैफाबाद

हैदराबाद 500004 (तेलंगाना)

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित व्यवसाय हेतु आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) सोमवार, **12 मार्च**, **2018** को प्रात: 11.00 बजे आन्ध्रा बैंक प्रधान कार्यालय, डॉ पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004 में आयोजित की जाएगी :

बैंक के दो शेयरधारक निदेशकों का चुनाव

केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों से **दो** निदेशकों को चुनने के लिए, जिनसे निर्धारित अनुसार वैध नामांकन प्राप्त हुआ है, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 (अब से "विनियम अधिनियम" कहा जाएगा), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1980 (अब से "योजना" कहा जाएगा) और आन्ध्रा बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2003 (अब से "विनियम" कहा जाएगा) के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9(3)(i) (अब से "अधिनियम" कहा जाएगा) तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की सं. डीबीओडी.बीसी.नं.95/29.39.001/2010-11 दि. 23.5.2011 तथा सं. डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.नं.39/29.39.001/2016-17 दि. 24.11.2016 (अब से भा.रि.बैंक "अधिसूचना" कहा जाएगा) के साथ पठित अधिसूचना नं. डीबीओडी नं.बीसी.नं.46 तथा 47/29/39.001/2007-08 दिनांक 01.11.2007 तथा इसके अतिरिक्त आगे संशोधनों, भारत सरकार (जीओआई) से कार्यालय ज्ञापन संदर्भ सं. एफ.सं. 16/83/2013-बीओआई दिनांक 03.09.2013 तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-आधिकारिक निदेशकों के रूप में विचार करने हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश दिनांक 25.03.2015 तथा दिनांक 08.07.2016 (एतदपश्चात "जीओआई दिशा-निर्देश" तथा आगे इसमें संशोधन कहा जाएगा) के साथ पठित एफ.नं. 16/51/2012.बीओआई दिनांक 28.04.2015 (वर्तमान भारत सरकार दिशा-निर्देश) के अनुसार चुने गए निदेशकों की रिक्तियां भरने तथा निम्नलिखित संकल्प हेतु

"संकल्प किया जाता है कि संबंधित योजना के अंतर्गत बनाए गए विनियम तथा भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(i) के अनुसरण में केंद्र सरकार के अलावा शेयरधारकों में से चयनित दो निदेशकों को एतदद्वारा बैंक के निदेशकों के रूप में नियुक्त हों तथा किया जाए तथा वे 14 मार्च 2018 से कार्यभार ग्रहण करेंगे तथा तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति तक अर्थात 13 मार्च 2021 तक सेवा में रहेंगे" ।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते आन्ध्रा बैंक

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 25.01.2018

(रूची रांगरी)
कंपनी सचिव

नोट:

1. **<u>व्याख्यात्मक विवरण</u>**
 बैठक में किए जाने वाले कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को निर्धारित करने वाला व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न है ।
2. **<u>वोट देने का अधिकार</u>**
 अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अतिरिक्त बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा रखे गए किन्हीं शेयरों के संबंध में बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल वोटिंग अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक हो तो उद्देश्य हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक वोट देने के अधिकार का उपयोग करने के लिए पात्र नहीं होगा । यह भी नोट करें कि केंद्र सरकार निदेशक के चुनाव अर्थात मनोनित करने, चुनाव लड़ने तथा वोट देने में प्रतिभागिता हेतु पात्र नहीं है ।

आन्ध्रा बैंक (शेयर तथा बैठक) विनियम 2003 के विनियम 68 के अनुसार प्रत्येक शेयरधारक के पास ई-वोटिंग/मतदान द्वारा वोटिंग में उसके प्रत्येक शेयर हेतु एक वोट होगी ।

अधिनियम की धारा 3 (2ई) में निहित प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक शेयरधारक उपरोक्त अनुसार वोट देने हेतु पात्र है जो कंपनी नहीं होते हुए व्यक्तिगत अथवा बॉय-प्रॉक्सी रूप से उपस्थित हो अथवा कंपनी के रूप में विधिवत, प्राधिकृत प्रतिनिधि अथवा बॉय-प्रॉक्सी द्वारा उपस्थित हो, उनके द्वारा धारित प्रत्येक हेतु एक वोट होगा।

<u>संयुक्त धारकों के अधिकारों का उपयोग करना</u>

विनियमों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के नाम होंगे, रजिस्टर में प्रथम व्यक्ति को, वोटिंग के संबंध में, उसका एकमात्र धारक माना जाएगा। अत: यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम होंगे, तो **केवल प्रथम व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने हेतु पात्र होगा तथा केवल वही बैठक में वोट करने, चुनाव तथा नामांकन हेतु पात्र है ।**

3. **<u>कट-आफ (निर्धारित तिथि)</u>**

बैंक ने चुनाव में भाग लेने हेतु शेयरधारकों के नाम के निर्धारण के उद्देश्य से अंतिम तिथि (निर्धारित तिथि) याने सूचना में वर्णित अनुसार केंद्रीय सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो निदेशकों के चुनाव हेतु नामांकन, चुनाव लड़ने तथा वोट हेतु अंतिम तिथि ।

4. **<u>प्राक्सी की नियुक्ति</u>**

बैठक में भाग लेने व वोट देने हेतु पात्र शेयरधारक बैठक में उपस्थित होने और वोट देने के लिए किसी प्राक्सी (आन्ध्रा बैंक के किसी कर्मचारी अथवा अधिकारी के अलावा) को नियुक्त कर सकता है और ऐसा प्राक्सी बैंक का शेयरधारक होना आवश्यक नहीं है ।

तथापि, इस प्रकार नियुक्त प्राक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा ।

विनियम 70(vi) के अनुसार, प्राक्सी के प्रलेख के प्रदाता को ऐसे प्रलेख से संबंधित बैठक में व्यक्तिगत रूप से वोट देने की पात्रता नहीं होगी ।

प्राक्सी की नियुक्ति के संबंध में पत्र, बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, शेयरधारक एवं निवेशक संबंध कक्ष, प्रधान कार्यालय, डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500 004, तेलंगाना में असाधारण आम बैठक से कम से कम **चार दिन** पहले याने बुधवार **07 मार्च, 2018** को बैंक के कार्य समय समाप्त होने याने सायं 5.00 बजे से पहले प्राप्त होना चाहिए ।

5. **<u>प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति</u>**

कोई भी व्यक्ति आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में तब तक भाग लेने के लिए पात्र नहीं होगा या वोट नहीं दे सकता जब तक कि उसे किसी कंपनी के निगम या निकाय जो बैंक के शेयरधारक हो, के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करते हुए पारित संकल्प की प्रति, जोकि उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा सही प्रतिलिपि, जिसमें प्रतिनिधि की नियुक्ति का संकल्प पारित है, बैंक के प्रधान कार्यालय में असाधारण आम बैठक की तारीख से कम से कम **चार दिन** पहले याने बुधवार **07 मार्च, 2018** को बैंक के कार्य समय समाप्त होने याने सायं 5.00 बजे से पहले प्राप्त होना चाहिए ।

आन्ध्रा बैंक के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

6. **<u>उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पर्ची</u>**

शेयरधारकों की सुविधा हेतु उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पर्ची इस सूचना के साथ संलग्न है । शेयरधारक/प्राक्सीधारक/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे पर्ची में निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और बैठक के स्थान पर उन्हें दे दें । तत्पश्चात् उन्हें प्रवेश पर्ची जारी किया जाएगा । प्राक्सी / प्राधिकृत प्रतिनिधियों को उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पर्ची में "प्राक्सी" या "प्राधिकृत प्रतिनिधि", जैसा भी मामला हो, अंकित करके बैठक में वोट देने हेतु देना है ।

7. **इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग**

सेबी के विनियम 44 (1) (लिस्टिंग बाध्यता एवं प्रकटण अपेक्षताएं) विनियम, 2015 तथा तथा कंपनीज़ (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम, 2014 अथवा इसमें बाद में किए गए संशोधनों के अनुपालन में बैंक सहर्ष असाधारण आम बैठक में अपने शेयरधारकों के लिए, मत-स्थल पर वोट देने के अलावा, मतदान के विकल्प-माध्यम के रूप में ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करता है, जो उन्हें इलैक्ट्रॉनिकली वोट देने हेतु सक्षम बनाएगी ।

इस उद्देश्य हेतु, बैंक ने अपने शेयरधारकों को इलैक्ट्रॉनिकली वोट देने हेतु रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने हेतु मैसर्ज़ सेंट्रल डिपॉज़िटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) को रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। बैंक ने बैठक स्थल पर वोटिंग के आयोजन हेतु तथा ई-वोटिंग प्रक्रिया को उचित एवं पारदर्शी ढ़ंग से सम्पन्न करने हेतु जांचकर्ता के रूप में मैसर्ज़ एन. एन. अनंतसुब्रमनियन एंड कंपनी को भी नियुक्त किया है ।

रिमोट ई-मतदान वैकल्पिक है । कृपया नोट करें कि शेयरधारक रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने वोट अधिकार के उपयोग करने के पश्चात भी ईजीएम में भाग ले सकते हैं किन्तु उन्हें बैठक के स्थान पर पुनः वोट देने की अनुमति नहीं होगी ।

इलैक्ट्रॉनिकली मतदान हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नलिखित हैं :-

(i) रिमोट ई-मतदान अवधि दि. 09.03.2018 प्रात: 10.00 बज़े प्रारंभ होगी तथा दि. 11.03.2018 सायं 5.00 बज़े समाप्त होगी (दोनों तिथि सम्मिलित) । इस अवधि के दौरान, बैंक के शेयरधारक, जिनके पास शुक्रवार 09.02.2018 की अंतिम तिथि (निर्धारित तिथि) तक भौतिक रूप अथवा अमूर्त रूप में शेयर हैं, इलैक्ट्रानिकली अपना वोट दे सकते हैं । उसके पश्चात रिमोट ई-मतदान मॉडयूल सीडीएसएल द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा ।

(ii) शेयरधारकों को ई-मतदान वेबसाइट www.evotingindia.com पर लॉग-ऑन करें ।

(iii) शेयरधारकों/सदस्यों पर क्लिक करें ।

(iv) अब अपना यूज़र आईडी प्रविष्ट करें ।

क) सीडीएसएल हेतु :16 अंक हिताधिकारी आईडी

ख) एनएसडीएल हेतु : 8 करेक्टर डीपी आईडी, फिर 8 अंक ग्राहक आईडी

ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को बैंक में पंजीकृत फोलियो नम्बर प्रविष्ट करें ।

(v) प्रदर्शित इमेज-जांच प्रविष्ट करें और लॉग-इन पर क्लिक करें ।

(vi) यदि आपके शेयर डीमेट रूप में हो एवं www.evotingindia.com में लॉग किया गया हो एवं किसी कंपनी में पहले वोट दिया हो तो आपके विद्यमान पासवर्ड का प्रयोग किया जाना है ।

(vii) यदि आप पहली बार उपयोगकर्ता हों तो नीचे दिये चरणों का अनुसरण करें ।

	कट-ऑफ तिथि (निर्धारित तिथि) 09.02.2018 को डीमेट रूप में तथा भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अपना 10 अंक अल्फा-न्यूमेरिक *पैन* प्रविष्ट करें । (डीमेट शेयरधारकों एवं भौतिक शेयरधारकों, दोनों के लिए लागू है) • उन सदस्यों से जिन्होंने अपने पैन को बैंक/आरटीए/डिपॉजिटरी पार्टिसीपैंट के साथ अद्यतन नहीं किया है, अनुरोध किया जाता है कि वे पैन के स्थान पर अपने नाम के पहले दो अक्षर एवं सीक्वेंस के 8 अंकों का प्रयोग करें। • यदि सीक्वेंस नंबर 8 अंकों से कम हो तो बडे अक्षरों में नाम के पहले दो अक्षरों के बाद नंबर के पहले आवश्यकतानुसार शून्य प्रविष्ट करें। उदाहरणस्वरूप- यदि सीक्वेंस नंबर 1 के साथ आपका नाम रमेश कुमार हो तो पैन के स्थान पर RA00000001 प्रविष्ट करें।
लाभांश बैंक का ब्यौरा अथवा जन्म तिथि (डीओबी)	लॉग-इन हेतु बैंक/आरटीए अभिलेख में अथवा अपने डीमेट खाते में अभिलेखित जन्म तिथि (dd/mm/yyyy प्रारूप) अथवा लाभांश बैंक का ब्यौरा प्रविष्ट करें । यदि डिपॉजिटरी अथवा बैंक/आरटीए में ब्यौरा रिकार्ड नहीं किया गया हो तो कृपया अनुदेश (iv) में उल्लिखित अनुसार लाभांश बैंक के ब्यौरा स्थान पर सदस्य आईडी/ फोलिओ नंबर प्रविष्ट करें ।

(viii) इन ब्यौरों को ठीक रूप से प्रविष्ट करने के बाद "सबमिट" टैब पर क्लिक करें ।

(ix) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों को सीधा कंपनी सिलेक्शन स्क्रीन में पहुँचना है । तथापि, डीमेट रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों को अब 'पासवर्ड क्रीएशन' मेनु में जाना है जिसमें उनको नये पासवर्ड स्थान पर अपना लॉगइन पासवर्ड प्रविष्ट करना अनिवार्य है । कृपया नोट करें कि डीमेट धारक द्वारा किसी अन्य कंपनी, जिसमें वे वोट देने के लिए पात्र हैं, के संकल्प के लिए वोट देने हेतु भी इस पासवर्ड का प्रयोग करना है बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लैटफर्म के जरिए ई वोटिंग का विकल्प दे। यह सख्तीपूर्वक सिफारिश की जाती है कि आप किसी अन्य व्यक्ति को पासवर्ड प्रकट न करें एवं अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने के लिए अत्यधिक सतर्कता बरतें ।

(x) भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए ब्यौरे का प्रयोग केवल इस नोटिस में स्थित संकल्प पर ई-वोट देने के लिए करना है ।

(xi) संबंधित <आन्ध्रा बैंक> जिनको आप वोट देना चाहते हैं, के लिए ईवीएसएन पर क्लिक करें ।

(xii) आप वोटिंग पृष्ठ पर "रिजोल्यूशन डिस्क्रिप्शन" एवं उसके सामने वोट देने के लिए विकल्प "हाँ" पायेंगे । अपनी इच्छानुसार विकल्प **हाँ** का चयन करें ।

(xiii) यदि आप संपूर्ण संकल्प का ब्यौरा चाहते हो तो "रिजोल्यूशन फाइल लिंक" पर क्लिक करें ।

(xiv) संकल्प का चयन करने के उपरांत आप वोट देने का निर्णय लेकर "सबमिट" पर क्लिक करें । पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित होगा । यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हो तो "ओके" पर क्लिक करें, यदि अपना वोट बदलना चाहते हो तो "कैंसल" पर क्लिक करें एवं तदनुसार अपना वोट आशोधित करें ।

(xv) आप एक बार संकल्प पर अपने वोट की "पुष्टि" करने पर आपको अपना वोट आशोधित करने की अनुमति नहीं है ।

(xvi) आप अपने वोट का प्रिंट वोटिंग पृष्ठ पर "क्लिक हियर टू प्रिंट" विकल्प पर क्लिक करके ले सकते हैं ।

(xvii) यदि डीमेट खाताधारक उसी पासवर्ड को भूल गया हो तो यूजर आईडी एवं इमेज वेरिफिकेशन कोड प्रविष्ट करें एवं "फर्गेट पासवर्ड" पर क्लिक करें एवं सिस्टम द्वारा मांगे गये के अनुसार ब्यौरा प्रविष्ट करें।

(xviii) शेयरधारक एंड्रायड आधारित मोबाईल हेतु उपलब्ध सीडीएसएल का मोबाईल एप एम-वोटिंग का उपयोग करते हुए अपना वोट दे सकते हैं । एम-वोटिंग मोबाईल एप गुगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं । एपल एवं विंडोज फोन उपयोगकर्ता क्रमशः एप स्टोर तथा विंडोज फोन स्टोर से एप डाउनलोड कर सकते हैं । कृपया अपने मोबाईल पर मतदान करते समय मोबाईल एप द्वारा अनुबोधित अनुदेशों का पालन करें ।

(xix) **गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों एवं अभिरक्षकों के लिए नोट**

- गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों (अर्थात व्यक्ति, हिन्दू अविभक्त परिवार, अनिवासी भारतीय इत्यादि को छोडकर) एवं अभिरक्षकों को www.evotingindia.com में लॉग ऑन करने एवं अपने आपको कॉर्पोरेट के रूप में पंजीकृत करने की आवश्यकता है ।
- इकाई के स्टांप एवं हस्ताक्षर के साथ पंजीकरण फार्म की स्कैन प्रति helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल करें ।
- लॉगइन ब्यौरा प्राप्त होने के बाद एडमिन लॉगइन एवं पासवर्ड का प्रयोग करके एक अनुपालन यूजर सृजित किया जाना चाहिए । अनुपालन यूजर खाते को जोडने में सक्षम होगा जिसको वे वोट देना चाहते हैं।
- खातों की सूची helpdesk.evoting@cdslindia.com को मेल करनी चाहिए एवं खातों का अनुमोदन होने पर वे अपना वोट दे पायेंगे ।
- बोर्ड संकल्प एवं मुख्तारनामा (पीओए) की स्कैन प्रति, जो उन्होंने अभिरक्षक के नाम जारी की है, यदि हो, उसकी जाँच के सत्यापन हेतु सिस्टम में पीडीएफ फार्मेट में अपलोड करें ।
- यदि आपके पास रिमोट ई-मतदान से संबंधित कोई प्रश्न अथवा शिकायत हो तो, आप बारबार पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") तथा सहायता खंड के अंतर्गत www.evotingindia.com में उपलब्ध ई-मतदान नियमावली का संदर्भ ले सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com को ई-मेल लेख सकते हैं (सीडीएसएल सहायता केंद्र नं. 1800225533 तथा संपर्क व्यक्ति नाम श्री राकेश दाल्वी है)

8. रिमोट ई-मतदान के माध्यम से अपने वोट नहीं देने वाले हेतु सोमवार, 12 मार्च, 2018 को मतदान :

चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया बैंक द्वारा नामित/नियुक्त मुख्य रिटर्निंग अधिकारी द्वारा निष्पादित की जाएगी । एस.एन. अनंतसुब्रमनियन एवं कं., एक शेयरधारक जांचकर्ता तथा बैठक में उपस्थित रहेन वाले भारत सरकार के प्रतिनिधि चुनाव देखरेख प्रेक्षक के रूप में कार्य करेंगे ।

9. मतदान के परिणाम

रिमोट ई-मतदान तथा बैठक में मतदान का समेकित परिणाम बैंक तथा डिपॉज़िटरी जैसे सीडीएसएल की वेबसाइट पर रखा जाएगा तथा बैठक की समाप्ति के 48 घंटे के अन्दर, स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया जाएगा ।

10. नोट:

पते में परिवर्तन, फोलियो का समेकन, भौतिक धारण का अभौतिक करना, अंतरण दर्ज करना तथा आदावा अथवा अदेय लाभांश, यदि कोई हो, तो संबंधित सूचना भी दी जाए ।

व्याख्यात्मक विवरण

बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3)(i) के अनुसार, चूंकि गैर-सरकार शेयरधारण बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी का 16% से अधिक तथा 32% से कम है, बैंक बोर्ड हेतु बैंक के शेयरधारकों (केंद्रीय सरकार के अलावा) के प्रतिनिधि के रूप में दो निदेशकों की नियुक्ति हेतु पात्र है ।

शेयरधारकों ने दि. 14.03.2015 से निदेशकों के रूप में श्री कृष्णाकुमारी तथा श्री जी शिवाकुमार को चुना तथा नियुक्त किया था तथा दि. 13.03.2018 तक निदेशक के पद पर बने रहेंगे ।

तदनुसार, रिक्तियों को भरने के दृष्टिगत, बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो निदेशकों केन्द्रीय सरकार के अलावा) के चुनाव हेतु बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक (ईजीएम) हेतु सूचना दी जा रही है ।

अतएव, शेयरधारक (केन्द्रीय सरकार के अलावा) विभिन्न सम्बन्धित अधिनियम/योजना/विनियमों/अधिसूचना में दी गई विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अपने नामांकन भेजने हेतु पात्र हैं, जिनके सम्बन्धित भाग यहां नीचे दर्शाए गए हैं :-

ऐसे चुनाव के पश्चात, वे दि. 14.03.2018 को कार्य-भार सम्भालेंगे तथा दि. 13.03.2021 तक से तीन वर्ष की अवधि तक पद पर रहेंगे ।

कानूनी प्रावधान

निम्न सारणी इस संबंध में लागू विभिन्न अधिनियम/ योजना / विनियम/अधिसूचनाओं में निहित प्रावधान दर्शाती है।

अधिनियम/ योजना / विनियम/ अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949	धारा 16 (1)	➢ सामान्य निदेशकों का निषेध
	धारा 20	➢ अपने निदेशकों को या उनकी ओर से ऋण या अग्रिम प्रदान करने पर प्रतिबंध
	धारा 5(एनई)	➢ पर्याप्त हित
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980	धारा 3 (2ई)	➢ वोटिंग अधिकारों पर प्रतिबंध
	धारा 9(3)(i)	➢ शेयरधारकों द्वारा चुने जानेवाले निदेशकों की संख्या
	धारा 9(3ए) (ए) से (सी)	➢ कतिपय क्षेत्रों की विशेष जानकारी
	धारा 9(3एए) एवं धारा 9(3एबी)	➢ कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह ट्रैक रिकार्ड, निष्ठा और भारिबैं द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य मानकों के आधार पर सही एवं उचित व्यक्ति न हो ।
	धारा 9(3बी)	➢ उक्त अधिनियम की धारा 9(ए) और 9(3एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं

	धारा 13(2)	करने पर ऐसे चुने गए निदेशक को हटाने का भारिबैं का अधिकार ➢ निष्ठा एवं गोपनीयता का दायित्व
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना, 1980	खंड 9(4) खंड 10 खंड 11 खंड 11ए खंड 11बी खंड 12(8)	➢ चुने गए निदेशकों की कार्यावधि ➢ बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु अनर्हता ➢ निदेशक के पद का रिक्त होना ➢ चयनित निदेशक का पद से हटाया जाना ➢ चुने हुए निदेशक के कार्यालय में रिक्त स्थान भरना ➢ निदेशकों द्वारा कतिपय व्यवस्था, जिनमें उनका हित हो, में हित का प्रकटन
आन्ध्रा बैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2003	विनियम 10 विनियम 61 ए विनियम 61 बी विनियम 63 विनियम 64 विनियम 65 विनियम 66 विनियम 67 विनियम 68 विनियम 69 विनियम 70	➢ संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग ➢ मतदान में जॉचकर्ता ➢ मतदान प्रक्रिया तथा परिणाम ➢ आम बैठकों में चुने जाने वाले निदेशक ➢ शेयरधारकों की सूची ➢ चुनाव हेतु अभ्यर्थियों का नामांकन ➢ नामांकन की जांच ➢ चुनाव विवाद ➢ मतदान अधिकारों का निर्धारण ➢ विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान ➢ प्राक्सी
भारिबैं अधिसूचना नं. डीबीओडी नं.बीसी.नं.46 तथा 47/29.39.001/ 2007-08 दिनांक 01.11.2007 और सं. डीबीओडी.बीसी.नं. 95/29.39.001/ 2010-11 दिनांक 23.05.2011 तथा सं. डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.नं. 39/29.39.001/2016-17 दि. 24 नवम्बर 2016 तथा बाद की अधिसूचना	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3एए) और धारा 9(3एबी) के अनुसरण में।	राष्ट्रीयकृत बैंकों के मंडल में चुने गए निदेशकों के लिए सही एवं उचित मानक
ओएम दिनांक 3 सितम्बर 2013 के साथ पठित जीओआई पत्र एफ.नं. 16/51/2012-बीओआई दिनांक 28 अप्रैल 2015 तथा 8 जुलाई 2016 के साथ पठित अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक की नियुक्ति हेतु मंत्रीमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देश दिनांक 25 मार्च 2015 तथा इसमें बाद के संशोधनों, यदि कोई	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3i) के अनुसरण में शेयरधारकों के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु, उम्मीदवारों की 'सही एवं उचित' स्थिति का निर्धारण करते समय बोर्ड की नामांकन समितिद्वारा इस दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखा जाता है ।	

भारतीय रिजर्व बैंक मास्टर परिपत्र दिनांक 1 जुलाई 2015	निदेशकों के रिश्तेदारों को ऋण तथा अग्रिमों की स्वीकृति
सेबी (बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण अपेक्षताएं की सूचीकरण) विनियम, 2015	स्वतंत्र निदेशक से संबंधित प्रावधान

संबंधित अधिनियम / योजना/ विनियम / अधिसूचनाओं आदि का उद्धरण

शेयरधारकों की सुविधा हेतु बैंककारी विनियम अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 (एतदपश्चात 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं विविध उपबंध) योजना, 1980 (एतदपश्चात 'योजना' के रूप में संदर्भित) तथा आन्ध्रा बैंक (शेयर तथा बैठकें) विनियम, 2003 (एतदपश्चात 'विनियम' के रूप में संदर्भित) तथा भारिबैं की अधिसूचना सं. डीबीओडी सं.बीसी सं.46 तथा 47/29/39.001/2007-08, दि.01.11.2007 तथा सं. डीबीओडी.बीसी.सं. 95/29.39.001/2010-11, दि. 23.05.2011 तथा सं. डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.नं. 39/29.39.001/2016-17 दि. 24.11.2016, कार्यालय ज्ञापन संदर्भ सं. एफ.सं. 16/83/2013-बीओआई दिनांक 03.09.2013 तथा एफ.नं. 16/51/2012-बीओआई दिनांक 28.04.2015 तथा दिनांक 8 जुलाई 2016 जिसे वित्त मंत्रालय का ओएम दिनांक 3 सितम्बर 2013 (वर्तमान भारत सरकार के निर्देश) के साथ पढा जाए, से संबंधित उद्धरण बैंक की वैबसाइट www.andhrabank.co.in पर उपलब्ध होंगे । ऐसे उद्धरणों को नामांकन-फार्मों के प्रस्तुतीकरण हेतु निर्धारित अंतिम तिथि याने शुक्रवार 23 फरवरी, 2018 को या इससे पहले कंपनी सचिव, शेयरधारक एवं निवेशक संबंध कक्ष, प्रधान कार्यालय, डॉ.पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500 004, तेलंगाना को किए गए अनुरोध की प्राप्ति पर इच्छुक उम्मीदवारों को ई-मेल द्वारा भी भेजा जाएगा ।

बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए आवश्यक अर्हताएँ

(I) अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार वह उम्मीदवार जो बैंक का शेयरधारक है और अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत बैंक का निदेशक बनने हेतु ईच्छुक है, उसे

(क) निम्न में से किसी एक अथवा अधिक विषयों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो : -

i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था,

ii. बैंकिंग,

iii. सहकारिता,

iv. अर्थशास्त्र,

v. वित्त,

vi. विधि,

vii. लघु उद्योग,

viii. किसी अन्य विषय में विशेष ज्ञान एवं व्यावहारिक अनुभव, जो भारिबैं की राय में बैंक के लिए उपयोगी हो । (भारिबैंक ने परिपत्र सं. डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.नं. 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवम्बर 2016 के माध्यम से उन व्यक्तियों हेतु जिनकी बैंक में निदेशकों की नियुक्ति होगी, (i) सूचना तकनीकी (ii) भुगतान एवं निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (IV) जोखिम प्रबंधन (V) व्यवसाय प्रबंधन को विशेषज्ञता के क्षेत्र में सम्मिलित किया है ।)

(ख) जमाकर्ताओं के हित का प्रतिनिधित्व करता हो, अथवा

(ग) किसानों, कामगारों और शिल्पकारों के हित का प्रतिनिधित्व करता है ।

(I) अधिनियम की धारा 9(3एए) के अनुसार उम्मीदवार बैंक के शेयरधारक होने ओर जो बैंक के निदेशक बनने के इच्छुक हैं, उन्हें इस संबंध में समय-समय पर भारिबैं के निदेशों / अधिसूचनाओं के अनुसरण में 'सही एवं उचित' हैसियत होनी चाहिए।

(II) इसके अतिरिक्त चयनित निदेशक को प्रतिज्ञा पत्र निष्पादित करना चाहिए और उन्हें इस संबंध में भारिबैं द्वारा निर्धारित अनुसार वार्षिक घोषणाएं प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने हेतु अनर्हता :

क) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध उपबंध) योजना 1980 के खंड 10 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने हेतु अनर्हक होंगे :

क) यदि उसे कभी भी दिवालिया घोषित किया गया हो अथवा उसने भुगतान आस्थगित किया हो अथवा अपने ऋणदाता से समझौता किया हो; अथवा

ख) यदि वह असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के रूप में पाया गया हो और सक्षम न्यायालय ने उसे असंतुलित दिमाग के व्यक्ति के रूप में घोषित किया हो; अथवा

ग) यदि दंड न्यायालय ने उसे आपराधिक सजा सुनायी हो अथवा उसने ऐसा अपराध किया हो जिसमें नैतिक भ्रष्टाचार सम्मिलित हो अथवा

घ) यदि वह किसी राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम 1955 की धारा 3 की उपधारा (i) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 3 में वर्णित किसी समनंषंगी बैंक में लाभ का पद धारित करता हो किंतु अपवाद स्वरूप वह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3(ई) व (एफ) खंडों के अंतर्गत बैंक के नामित, बैंक के कर्मचारियों में से, प्रबंध निदेशक और निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशक का पद धारित कर सकता है।

एवं

ख) यदि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी तथा वर्तमान सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार भारत सरकार का दिनांक 28 अप्रैल, 2015 तथा दिनांक 08.07.2016, का. ज्ञा. दिनांक 03.09.2013 के साथ पढ़े, सं. डीबीआर. एपीपीटी.बीसी.सं. 39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24 नवंबर 2;16 तथा बीसी सं. 95/29.39.001/2010-11 दिनांक 23.05.2011 और एफ.16/51/2012 दिनांक 28.04.2015 के साथ पढ़ें (वर्तमान भारत सरकार के दिशानिर्देश) और कार्यालय ज्ञापन संदर्भ सं. एफ.16/83/2013-बीओ दिनांक 03.09.2013 द्वारा अग्रेषित भारतीय रिज़र्व बैंक डीबीओडी.बीसी. सं. 46 और 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01.11.12017 की सूचनाओं के मामले में वह 'योग्य और उचित' व्यक्ति नहीं है, तो वह 'योग्य और उचित' व्यक्ति नहींपाया जाता है, तो बैंक के निदेशकों की नामांकन समिति द्वारा 'योग्य और उचित' व्यक्ति नहीं पाया जाता है ।

कार्यकाल :

राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1980 की धारा 9(4) के अनुसार, एक निर्वाचित निदेशक तीन वर्ष के लिए कार्यालय संभालते हुए फिर से चुनाव के लिए पात्र होंगे ।

कोई निदेशक छः वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लगातार कार्यालय नहीं संभालेंगे ।

भारतीय रिज़र्व बैंक के 'योग्य और उचित' मानदंडों के दिर्शानिर्देश :

भारतीय रिज़र्व बैंक (भारिबैंक), बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों के अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1980 की उप-धारा (3एए) के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए डीबीओडी.बीसी.सं.46 तथा 47/29.39.001/2007-08 दिनांक 01 नवंबर 2007 तथा बैंकिंग कंपनियों (अधिग्रहण और अधिग्रहण का अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3) के प्रावधानों के अंतर्गत बैंक के निदेशकों के रूप में निर्वाचित किए जाने वाले व्यक्तियों द्वारा पूरा की जाने वाली 'योग्य और उचित' प्रक्रिया के संबंध में अधिसूचना जारी किया है ।

अधिसूचना की मुख्य विशेषताएं :

'योग्य और उचित' स्थिति आदि का निर्णय लेने के लिए प्राधिकरण, कार्य / प्रक्रिया और मानदंड निम्नानुसार हैं :

क) प्राधिकरण :

सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों को निदेशक मंडल में से कम से कम तीन निदेशकों (सभी स्वतंत्र / गैर कार्यपालक निदेशक) की 'नामांकन समिति' का गठन करना आवश्यक है । निदेशक मंडी को सभी उनमें से एक को नामांकन समिति के अध्यक्ष के रूप में नामित करना है । आवश्यक कोरम अध्यक्ष सहित तीन हैं । पूर्व नामांकित किसी भी सदस्य की अनुपस्थिति में, निदेशक मंडल आगामी बैठक के लिए किसी अन्य स्वतंत्र निदेशक को उनके स्थान पर नामित कर सकते हैं । नामांकन समिति के गठन के समय बोर्ड अपने कार्यकाल पर निर्णय ले सकता है ।

ख) कार्यप्रणाली और प्रक्रिया :

अधिनियम की धारा 9(3) (i) के अंतर्गत निदेशक के रूप में निर्वाचित होने वाले वर्तमान निर्वाचित निदेशक / व्यक्ति की 'योग्य और उचित' स्थिति को निर्धारित करने के लिए नामांकन समिति को समुचित सावधानी की प्रक्रिया आरंभ करनी चाहिए । इस प्रयोजन के लिए बैंकों को निर्वाचितनिदेशकों / व्यक्तियों से, जो चुनाव के लिए अपना नामांकन दर्ज किए हैं, संलग्न प्रारूप (अनुबंध-1) में आवश्यक सूचना और घोषणा प्राप्त करना चाहिए । नामांकन समिति को उम्मीदवार के निर्वाचन के लिए नामांकन स्वीकार करने की अंतिम तिथि से पहले मिलना चाहिए और यह निर्णय लेना चाहिए कि व्यकित की उम्मीदवारों को नीचे दिए गए मानदंडों के आधार पर स्वीकार किया जाना चाहिए अथवा नहीं । समिति की चर्चा को बैठक के औपचारिक कार्यवृत्त के रूप मं सही रूप से दर्ज की जानी चाहिए और यदि वर्तमान और प्रस्तावित निदेशकों दोनों के मामले में मतदान किया गय हो, तो उसका भी नोट किया जानी चाहिए। हस्ताक्षरित घोषणा में दी गई जानकारी के आधार पर, नामांकन समिति को उम्मीदवार की स्वीकृति अथवा अन्यथा के बारे में निर्णय लेना चाहिए और उपयुक्त प्रावधानों / व्यक्तियों के लिए आवश्यक समझा जा सकता है ।

ग) मापदड :

नामांकन समिति को वर्तमान निर्वाचित निदेशक / प्रस्तावित उम्मीदवारों के 'योग्य और उचित' स्थिति का निर्धारण करना चाहिए, जो नीचे उल्लिखित विस्तृत मानदंडों के आधार पर किया गया है :

i शेक्षिक योग्यता
ii अनुभव और विशेषज्ञता के क्षेत्र
iii ट्रैक रिकॉर्ड और ईमानदारी
(उपरोक्त सूची केवल उदाहरण है और संपूर्ण नहीं है)

नामांकन समिति को यह देखना चाहिए कि उपरोक्त मानदंडों का पालन न करने से वर्तमान निर्वाचित निदेशक / प्रस्तावित उम्मीदवारों को बैंक के निदेशक के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करने में बाधा होगी अथवा नहीं । इसके अलावा, किसी भी प्राधिकरण / नियामक एजेंसी अथवा किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से किसी भी ऋण के चूक के प्रति प्रतिकूल सूचना के लिए आने वाले उम्मीदवार को बैंक के बोर्ड पर निदेशक के रूप में अनुचित तथा पात्र नहीं होगा ।

घ) अन्य मामलें :

यह वांछनीय है कि सार्वजनिक हित में, यह सुनिश्चित किया जाए कि चुने गए निदेशकों द्वारा करारों के विलेख को कार्यान्वित किया जाता है (जैसा कि डॉ. गांगुली ग्रुप द्वारा सिफारिश किए गए हैं, निदेशकों द्वारा आवश्यक विवरण तत्काल दिए गए हैं । यदि कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन है, तो नामांकन समिति को पुन: समुचित सावधानी प्रक्रिया का संचालन करना चाहिए और निदेशक के 'योग्य और उचित' स्थिति की जांच करना चाहिए ।

दिनांक 25 मार्च 2015 तथा दिनांक 08 जुलाई 2016 के भारत सरकार के दिशानिर्देश :

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों / वित्तीय संस्थानों आदि के बोर्डों पर अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों (एनओडी) नामांकन के लिए निम्न लिखित मापदंडों को अपनाया जा सकता है ।

1) साधारण :

क) संबंधित अधिनियमों / नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए नामांकन किए जाते हैं ।

ख) औपचारिक योग्यता और विषेज्ञता, ट्रैक रिकार्ड, ईमानदारी आदि के मामले में नामांकित व्यक्तियों की उपयुक्तता का आकलन किया जा सकता है । ईमानदारी और उपयुक्तता के मूल्यांकन के लिए आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत ऋण के लिए किए गए सिविल कृत्यों, व्यावसायिक निकायों में प्रवेश से इनकार करने या निष्कासन, नियामकों और इसी तरह के निकायों और पिछले संदिग्ध व्यवसाय प्रथाओं आदि द्वारा लागू प्रतिबंधों पर विचार किया जाएगा ।

2) अनुभव :

क) श्रेष्ठ शैक्षिक प्रशिक्षण अथवा कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था बैंकिंग, सहयोग, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट विधि, जोखिम प्रबंधन, उद्योग और आईटी के क्षेत्र में व्यावहारिक अनुभव के साथ व्यक्तियों पर सामान्य रूप से विचार किया जाएगा । एक वरिष्ठ पद सपर उद्योग के अनुभव के 20 वर्ष, संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता (सफलतापूर्वक एक प्रतिष्ठित संगठन का नेतृत्व किया, एक असफल संगठन में बदलाव लाया गया) को प्राथमिकता दी जाएगी ।

ख) 20 वर्ष के कुल अनुभव और संयुक्त सचिव और ऊपर के स्तर पर न्यूनतम 10 वर्ष के अनुभव वाले वरिष्ठ सरकारी अधिकारी । सेवानिवृत्त के एक वर्ष के बाद सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त अप्रनि/कानि/ (पूर्व अप्रनि/कानि को बैंक के बोर्ड पर एनओडी के रूप में नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा, जिस पर सेवानिवृत्त हुए हैं । सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के अप्रनि/कानि की सेवा किसी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड पर नियुक्ति के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।

ग) 20 वर्ष से अधिक अनुभव वाले प्रीमियर प्रबंधन/बैंकिंगसंस्थानों के शिक्षाविदों / निदेशकों और प्रोफेसर

घ) 20 वर्ष के अनुभव के साथ सनदी लेखाकार (लेखा परीक्षा अनुभव को छोडकर) को भी अधिमान्यता दी जाएगी ।

ञ) हालांकि, मामले की योग्यता के आधार पर असाधारण मामलों में वित्त मंत्री के अनुमोदान से अनुभव मानदंड में छूट दी जा सकती है ।

च) जहां तक संभव हो, महिलाओं और अजा/अजजा से संबंधित व्यक्तियों को यथा संभव प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है ।

3) शैक्षिक योग्यता :

एक एनओडी को कम से कम किसी भी विषय में स्नातक होना चाहिए, इसके साथ ही व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और आईटी में विशेषज्ञता प्राप्त होनी चाहिए ।

4) आयु का मानदंड :

नामांकन समिति (खोज समिति) द्वारा सिफारिश की तारीख को निदेशक की आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

5) **कार्य अनुभव :**

व्यावसायिक शिक्षाविदों को आम तौर पर उनके विशेष क्षेत्र में 20 वर्ष का कार्य अनुभव होना चाहिए ।

6) **अयोग्यताएं :**

क) बैंक / वित्तीय संस्थान (वित्तीय संस्था) / भारिबैंक / बीमा कंपनी पर पहले से ही किसी भी श्रेणी में निदेशक, किसी भी अन्य बैंक / वि.सं. / भारिबैंक / बीमा कंपनी में एनओडी के रूप में नामांकन के लिए नहीं माना जा सकता है ।

ख) किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, पट्टे और अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों, सांसद, विधायकों, एमएलसी और स्टॉक ब्रोकर्स से जुडे व्यक्तियों को बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / भारतीय रिज़र्व बैंक / बीमा कंपनियों के बोर्डों पर गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा । किराया खरीद, वित्तपोषण निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों में निवेशक, एनओडी के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं होंगे, अगर ऐसी कंपनियों में उनके साथ कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं है ।

ग) किसी व्यक्ति को बैंक / वित्तीय संस्थान / भारतीय रिज़र्व बैंक / बीमा कंपनी के बोर्ड पर एनओडी के रूप में पुन: नामित किया जा सकता है, जिस पर वह किसी भी श्रेणी के अंतर्गत निदेशक के रूप में दो बार अथवा छ: वर्ष, जो भी लंबे समय हो ।

घ) सनदी लेखाकार, यदि उनकी फर्म वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में एक सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षक के रूप में हो तो ।

ञ) सनदी लेखाकार, यदि उनकी फर्म वर्तमान में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में हो तो ।

7) **कार्यकाल :**

यदि निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक / वित्तीय संस्थान / भारतीय रिज़र्व बैंक / बीमा कंपनीके बोर्ड पर छ: वर्ष हेतु एनओडी / शेयरधारक निदेशक है, चाहे लगातार या अंतराल पर, एनओडी को बैंक / विसं / भारिबैंक / बीमा कंपनी के निदेशक के रूप में नामांकन के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।

8) **व्यावसायिक प्रतिबंध :**

राष्ट्रीयकृत बैंक योजना (प्रबंधन और विविध प्रावधान)योजना, 1980 की धारा (डी) के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में व्यावसायिक प्रतिबंध के प्रति लाभ का कार्यालय अलग-अलग जांच की जानी चाहिए ।

9) **क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व :**

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बोर्डों पर देश के सभी छ: क्षेत्रों - उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और उत्तर-पूर्व से प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए ।

शेयरधारकों के रजिस्टर का निरीक्षण :

शेयरधारकों के रजिस्टर / सदस्यों के रजिस्टर, सभी कार्य दिवस (दूसरे और चौथे शनिवार, रविवार और बैंक की छुट्टियों के अलावा) (जब तक शेयरधारकों का रजिस्टर आन्ध्रा बैंक (शेयरों और बैठक) विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार बंद हो जाता है, के अलावा) अपराह्न 3.00 बजे से 5.00 बजे तक बैंक के प्रधान कार्यालय में शेयधारकों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा । यदि किसी शेयरधारक को रजिस्टर अथवा उसके भाग की प्रति अथवा कंप्यूटर प्रिंट की प्रति आवश्यकता होती है, तो उसकी प्रति 1000 शब्द अथवा उसके भाग के लिए 5 रूपए की दर से पूर्व-भुगतान पर आपूर्त की जाएगी ।

शेयरधारकों की सूची :

शेयरधारकों को चुनाव में भाग लेने हेतु सक्षम बनाने हेतु, विनियमों के विनियमन 64 में दर्शायी शेयरधारकों की पूर्ण सूची, अंतिम तिथि (रिकार्ड) याने बुधवार, 09.02.2018 को शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्र.का. डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500 004 में खरीद हेतु 'आन्ध्रा बैंक' के हित में हैदराबाद में देय किसी अनुसूचित बैंकके मांग ड्राफट / भुगतान आदेश द्वारा रु. 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) के पूर्व भुगतान पर शेयरधारकों द्वारा खरीद हेतु शुक्रवार, 23.02.2018 (नामांकन प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि) तक उपलबध होगी ।

<u>चुनाव हेतु अभ्यर्थियों का नामांकन</u>

<u>नामांकन की वैधता</u>

विनियम के नियम के संदर्भ में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक 65, डीबीओडी सं .बीसी नं .46 तथा 47/29.39.001/2007-01 दिनांक 08.11.2007, नं .बीसी नं .डीबीओडी .95/29.39.001/2010.11 दिनांक 23.05. के साथ पढ़े तथा 2011भारतीय रिज़र्व बैंक (इसके बाद भारिबैंक अधिसूचना कहा जाएगा) के नं .डीबीआर . .नं .बीसी.एपपीट39/29.39.001/2016-17 दिनांक 24.11. परिशोधनतथा अन्य 2016, का .नं .एफ .सं .सं .ज्ञा. 16/83/201303 बीओआई दिनांक-.09. .स .का पत्र एफ 201316/51/201228 बीऔ आई दिनांक-.04. 2015 (भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार), भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (इसके बाद भारत सरकार दिशानिर्देश कहा जाएगा) के गैर25 सरकारी निदेशक पर विचार करने हेतु दिनांक-.03. तथा दिनांक 2015 08.07.जारी दिशानिर्देशों के साथ पढ़े तथा आगे परिशोधन 2016 तथा विभिन्न अधिनियम के लागू अन्य प्रावधान के अनुसार निदेशक के रूप में चुनाव के लिए उम्मीदवार के नामांकन का प्रावधान मान्य होगा बशर्तेकि :

क) शेयरधारक वह है, जो शुक्रवार,09 .02.2018, जो चुनाव में भाग लेने के लिए निर्दिष्ट तिथि है, को बैंक में 100 से कम(एक सौ) शेयर नहीं रखता है तथा आम बैठक, अर्थात सोमवार, 12.03.2018 तक और तथा यदि चुने जाने पर उसके कार्यकाल के अंत तक, न्यूनतम शेयर जारी रखता है। 100

ख) शुक्रवार,23 .02.को 2018, (नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि) वह अधिनियम / विनियमन / योजना / भारिबैंक अधिसूचनाओं के अंतर्गत निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं है;

ग) नामांकन इस अधिनियम के अधीन निदेशकों को चुनने का हक रखने वाले कम से कम एक सौ शेयरधारकों या उनके द्वारा विधिवत नियत वकील द्वारा हस्ताक्षरित नामांकन लिखित रूप में हो, परंतु यह कि कोई शेयरधारक-, जो एक कंपनी हो, कथित कंपनी के निदेशकों के संकल्प द्वारा नामांकन किया जा सकेगा और जहाँ ऐसा किया गया हो, उस बैठक के अध्यक्ष द्वारा संकल्प कंपनी के निदेशकों के संकल्प की प्रति को सही प्रति के रूप में सत्यापित कर बैंक के प्रधान कार्यालय में कंपनी सचिव, शेयरधारक एवं निवेशक संबंध कक्ष, प्रधान कार्यालय, डॉपट्टाभि भवन.,5 -9-11, सैफाबाद, हैदराबाद प्रति को संबंधित को प्रेषित किया जाना है और उक्त 004 500 कंपनी की ओर से नामांकन के रूप में माना जाएगा ।

घ) शेयरधारकों द्वारा नामांकन (न्यूनतम 100) उम्मीदवार की घोषणा के साथ किसी न्यायाधीश, दंडाधिकारी, आश्वासनों के रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिज़र्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित सूचना के साथ संलग्न घोषणा एवं नामांकन के नमूना फार्म के अनुरूप एक घोषणा पत्र हो कि वह नामांकन स्वीकार करता है और चुनाव के लिए खड़े होने का इच्छुक है और यह कि इस अधिनियम के तहत या बैंकिंग विनियमन अधिनियम अथवा अधिनियम अथवा योजना अथवा विनियमन अथवा भारिबैंक अधिसूचना अथवा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार निदेशक बनने के लिए अयोग्य नहीं ठहराया गया है ।

ङ) नामांकन फार्म और घोषणा फार्म विनियम में यथा निर्धारित और संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार हो (प्रोफार्मा बैंक की वैबसाईट www.andhrabank.in में "निवेशक कोना" टैब में भी उपलब्ध है ।)

<u>नामांकन फार्मों का प्रस्तुतीकरण</u>

बैंक के निदेशक हेतु चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक शेयरधारक जो ऊपर उल्लिखित शर्तों के अनुसार अर्हता प्राप्त हैं, द्वारा निम्नलिखित प्रस्तुत किया जाए :

क) विधिवत् भरा हुआा घोषणा फार्म

ख) चुनाव में भाग लेने के लिए पात्र न्यूनतम सौ शेयरधारकों से नामांकन

ग) व्यक्तिगत सूचना, घोषणा और संबंधित प्रलेखों के साथ वचन पत्र, प्रमाणडाटा-पत्र यथा बायो-, शैक्षिक योग्यता, अनुभव आदि के प्रमाणपत्र-

सूचना से संलग्न फार्मेट में बंद लिफाफे में सभी पहलुओं में संपूर्ण संबंधित प्रलेखों के साथ असाधारण आम बैठक के लिए शुक्रवार, **23.02.2018** शाम 5.समय से पूर्व किसी भी कार्य -बजे को या उससे पहले बैंक के कार्य 00 दिवस को(याने कि आम बैठक की तिथि से दिन से कम न हो 14) बैंक के प्रधान कार्यालय में उप महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव, शेयरधारक एवं निवेशक संबंध कक्ष, प्रधान कार्यालय, डॉट्टाभि भवनप.,5 -9-11, सैफाबाद, हैदराबाद थात किए जाएं अन्यमें प्रस्तु 004 500, नामांकन अस्वीकार कर दिए जाएंगे ।

<u>नामांकन की जाँच</u>

(i) नामांकनों की जाँच बैंक द्वारा प्राप्ति की निर्धारित अंतिक तारीख के बाद प्रथम कार्य दिवस याने सामवार, 26.02.2018 को की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है, उसका कारण उल्लिखित करने के बाद उसे अस्वीकार किया जाएगा ।

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक की अधिसूचना दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा उनके /'योग्य और उचित स्थिति' को निर्धारित करने के लिए नामांकन भी जांच के अधीन होगा, नामांकन समिति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैरसरकारी निदेशक के लिए लागू भारत सरकार द्वारा जारी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया पर भी - विचार कर सकती है ।

(iii) यदि चुनाव में दो रिक्त पदों के लिए केवल एक या दो वैध नामांकन हों, तो नामांकित उम्मीदवार को निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम और पता ऐसे निर्वाचित रूप से प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी घटना में असाधारण आम बैठक रद्द की जाएगी । हालांकि, निर्वाचित उम्मीदवार केवल 14.03.से पद ग्रहण करेंगे और धारणा 2018 की तारीख से तीनवर्ष की अवधि के पूरा होने तक, अर्थात 13.03.तक कार्यालय में रहेंगे । 2021

(iv) यदि वैध नामांकन दो से अधिक हे, तो उम्मीदवारों के नाम को पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाएगा और चुनाव आयोजित किए जाएंगे और जिन उम्मीदवारों को अधिक, अर्थात बैठक में दूरदराज के ईवोटिंग और बैठक में - ल राशिवोटिंग की कु, वोट मिलेगा, उनको निर्वाचित माना जाएगा तथा उनके नाम पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाएगा ।

(v) बैंक नामांकन की जांच के समय या बोर्ड की नामांकन समिति द्वारा सूचित अनुसार, उम्मीदवारी की उम्मीदवारी के समर्थन में उम्मीदवारों से अधिक जानकारी, प्रलेख मांग सकता है ।

<u>चुनाव विवाद</u>

चुनाव विवाद, यदि कोई हो, तो विनियमन के नियम के अनुसार निपटाया जाए । 67

<u>नामांकन वापस लेना</u>

उम्मीदवार गुरुवार,बजे को या उससे पूर् 5 को 2018 मार्च 08 व कंपनी सचिव, शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, डॉपट्टाभि भवन.,5 -9-11, हैदराबाद न क्षरित पत्र भेजते हुए अथवा स्कैको हस्ता 004 500 म सेमेल के माध्य-क्षरित पत्र ईएवं हस्ताmbd@andhrabank.co.in अथवा rayar@andhrabank.co.in को भेजते हुए अपना नाम वापस ले सकते हैं । प्रधान कार्यालय में तेलंगाना को प्रेषित किया जाना है और उक्त प्रति को संबंधित कंपनी की ओर से नामांकन के रूप में माना जाएगा ।

<u>प्रासंगिक भाग</u>

शेयरधारकों के लाभ के लिए लागू अधिनियम दैशों के भारत सरकार के दिशानि / अधिसूचना / विनियम / योजना / प्रासंगिक भाग बैंक की वेबसाइटwww.andhrabank.in पर उपलब्ध हैं । चुनाव में भाग लेने वाले इच्छुक शेयरधारक उसे डाउनलोड कर सकते हैं अथवा बैंक के कंपनी सचिव को mbd@andhrabank.co.in पर लिखते हुए इसे प्राप्त कर सकते हैं ।

निदेशकों की रुचि

यह माना जाएगा कि नामांकन फाइल करने वाले निदेशकों को ऊपर उल्लिखित व्यवसाय मद में संबंध अथवा रुचि है ।

निदेशक मंडल के आदेश से
कृते आन्ध्रा बैंक

स्थान हैदराबाद :
दिनांक 25.01.2018

(रुचि रंगारी)
कंपनी सचिव

घोषणा

(उम्मीदवार द्वारा)

(विनियमों के विनियम 65 का संदर्भ लें)

मैं, श्री/श्रीमती सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी/श्री/श्रीमती का निवासी एतद्द्वारा पुष्टि करता हूं/करती हूं कि

क. मैं शुक्रवार, 09.02.2018 याने चुनाव (नामित करने/लड़ने) में भाग लेने हेतु निर्दिष्ट तिथि को बैंक के 10/- रु प्रत्येक के ईक्विटी शेयर रखने वाला शेयरधारक हूं तथा चुने जाने पर अपनी अवधि की समाप्ति तक 100 ईक्विटी शेयर रखूंगा तथा

ख. मुझे (i) कृषि और ग्रामीण अर्थ व्यवस्था (ii) बैंकिंग (iii) सहकारिता (iv) अर्थशास्त्र (v) वित्त (vi) विधि (vii) लघु उद्योग या आईटी के विशेष ज्ञान के अन्य मामला/ सिस्टम भुगतान एवं निपटान/ मानव संसाधन / जोखिम प्रबंधन/व्यवसाय प्रबंधन आदि तथा व्यावहारिक ज्ञान जो भारतीय रिज़र्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी होगा, में विशेष ज्ञान तथा व्यावहारिक अनुभव है और मैं बैंकिंग कंपनी (अभिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 की उपधारा 3 (क) के अनुसार जमाकर्ताओं अथवा कृषकों, कर्मचारियों और कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करता हूं/करती हूं और उसके साक्ष्य के रूप में इसके साथ सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करता हूं/करती हूं ।

ग. मैं संख्या में नामांकन स्वीकार करता हूं और

घ. मैं आन्ध्रा बैंक के निदेशक के निर्वाचन के लिए खड़ा होने का ईच्छुक हूं और

ङ. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का र्जन तथा अंतरण) अधिनियम, 1980, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन तथा विविध प्रावधान) योजना, 1980 तथा आन्ध्रा बैंक (शेयर तथा बैठक) विनिमय, 2003, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर-सरकारी निदेशकों के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्रासंगिक अधिसूचना तथा भारत सरकार द्ववा जारी दिशा-निर्देश के प्रावधानों के अन्तर्गत बैंक के निदेशक होने से मुझे अयोग्य घोषित नहीं किया गया है तथा

च. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत मुझे अयोग्य घोषित नहीं किया गया है तथा

छ. मैं न तो लाभ का कोई कार्यालय में कार्यरत हूँ तथा न ही रष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित भारतीय स्टेट बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक (अनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी अनुषंगी बैंक का कर्मचारी हूँ, तथा

मैं आगे यह घोषणा करता हूँ कि

ज. मुझे किसी दिवालिया के रूप में किसी भी समय साबित नहीं किया गया है अथवा भुगतान निलंबित किया गया है अथवा मेरे लेनेदारों के साथ दंड प्राप्त किया गया है; तथा

झ. मुझे मानसिक अस्वस्थ नहीं साबित किया गया है अथवा सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित नहीं किया गया है तथा अपराध के लिए एक अपराध न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है जिसमें नैतिक अधर्मता शामिल है; तथा

ञ. किसी भी आर्थिक अधिकारी अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट अथवा उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा मुझे अपराधी घोषित नहीं किया गया है; तथा

ट. मैं किसी किराया-खरीद, वित्तपोषण निवेश, पट्टे तथा अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों से नहीं जुड़ा हूँ तथा मैं सांसद/विधायक/एमेलसी/स्टॉक ब्रोकर नहीं हूँ ।

ठ. मैं किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अथवा वित्तीय संस्थान अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा बीमा कंपनी के बोर्ड पर दो बार अथवा छः वर्ष, जो भी लंबे समय तथा निरंतर अथवा अंतराल के लिए हो, के लिए निदेशक नहीं रहा हूँ, तथा

ड. मैं इस बैंक के बोर्ड पर इससे पहले किसी भी श्रेणी के अंतर्गत दो बार अथवा छः वर्ष, जो भी लंबे समय हो, निदेशक नहीं रहा हूँ, तथा

ढ. बैंक में निर्वाचित होने पर मैं उच्च पेशेवर रिश्ते, यदि कोइ हो, तो मेरे कार्यकाल के दौरान निदेशक के रूप में तथा उसके बाद दो वर्षों की अवधि के दौरान बैंक के साथ किसी भी पेशेवर रिश्ते नहीं लूंगा; तथा

ण. मैं वर्तमान में किसी भी सनदी लेखाकार संस्था में भागीदार नहीं हूँ जो वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रही है; तथा

त. मैं वर्तमान में किसी भी सनदी लेखाकार संस्था में भागीदार नहीं हूँ जो वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक अथवा संगामी लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रही है; तथा

थ. मैं इस घोषणा के बाद में घटित घटनाओं, यदि कोई हो, के बारे में जो यहां प्रस्तुत सूचना से संबंधित है, को यथाशीघ्र बैंक को सूचित करूँगा तथा निदेशक के रूप में मेरे चुनाव पर प्रसंविदा विलेख प्रस्तुत करूंगा; तथा

द. जब तक मैं बैंक के निदेशक के रूप में पद पर धारण रहता हूँ, तब तक संशोधन के अनुसार, मैं सेबी (दायित्व लिस्टिंग तथा प्रकटीकरण आवश्यकतएं) विनिमय, 2015 के प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन करूँगा; तथा

ध. मैं अपने व्यक्तिगत विवरणों को संलग्न करता हूँ, जो संलग्न पीडीयू फार्म, जैसे व्यक्तिगत सूचना, घोषणा तथा उपक्रम के अनुसार मेरी संपूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही तथा संपूर्ण है; तथा

न. मैं इस घोषणा के बाद में घटित घटनाओं, यदि कोई हो, के बारे में जो यहां प्रस्तुत सूचना से संबंधित है, को यथाशीघ्र बैंक को सूचित करूँगा तथा निदेशक के रूप में मेरे चुनाव पर प्रसंविदा विलेख प्रस्तुत करूंगा; तथा

ऩ. मैं अपने वर्तमान विवरण के साथ-साथ अन्य कंपनियों/बैंकों में पिछले निदेशक के विवरण के विवरण नीचे देता हूँ :

कंपनी/बैंक की नाम	निर्देशक के विवरण, कार्यकाल, अवधि आदि

(यदि आवश्यक हो, अतिरिक्त शीट जोड़ें)

V. मैं अपने व्यक्तिगत विवरणों को संलग्न करता हूँ, जो मेरी संपूर्ण जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही तथा संपूर्ण है :

शेयरधारक का नाम	जगह तिथि
शेयरधारक के हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि अमूर्त न हो)	
डीपी आईडी सं. एवं ग्राहक आईडी सं. (यदि अमूर्त हो)	
स्थान	
दिनांक	

न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार अथवा आश्वासन के उप रजिस्ट्रार अथवा अन्य राजपत्रित अधिकारी अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा आन्ध्रा बैंक अथवा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के मोहर सहित हस्ताक्षर

उपरोक्त घोषणा पर मेरे समक्ष हस्ताक्षर किया गया

मुहर सहित हस्ताक्षर
नाम
दिनांक

नामांकन फार्म

(शेयरधारक द्वारा)

[विनियमों के विनियम 65 (डी) का संदर्भ लें]

सेवा में
आन्ध्रा बैंक
शेयरधारक एवं निवेशक संबंध कक्ष
प्रधान कार्यालय, डा पट्टाभि भवन,
5-9-11, सैफाबाद,
हैदराबाद-500004 (तेलंगाना)

महोदय,

निदेशक के निर्वाचन हेतु नामांकन

आपके दिनांक 25.01.2018 के नोटिस के संदर्भ में
मैं श्री/श्रीमती, जो 10/- रू प्रत्येक के ईक्विटी शेयरधारक हूं, शुक्रवार, **09.02.2018** (चुनाव में भाग लेने हेतु (नामित/चुनाव लड़ने) (निर्दिष्ट तिथि) को सोमवार, **12.03.2018** को हैदराबाद में आयोजित की जाने वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण सामान्य बैठक में, बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9 (3) (1) के उपबन्धों के अनुसार बैंक के शेयरधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले आन्ध्रा बैंक के निदेशक के रूप में निर्वाचित होने हेतुके निवासी श्री/श्रीमती सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नीको नामित करता हूं/करती हूं ।

नाम	
हस्ताक्षर	
शेयरों की संख्या	
पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि अमूर्त न हो)	
डीपी आईडी सं एवं ग्राहक आईडी सं. (यदि अमूर्त हो)	
स्थान	
दिनांक	

टिप्पणियां:

1) यदि नामांकन किसी कंपनी निकाय द्वारा किया जाता है तो नामांकन फार्म के साथ उस बैठक के अध्यक्ष जिस बैठक में ऐसा प्रस्ताव पारित किया गया है, द्वारा हस्ताक्षरित निदेशक मंडल द्वारा पारित संकल्प की सत्यापित प्रति संलग्न होनी चाहिए ।
2) प्रत्याशी का नामांकन करने वाले शेयरधारक के हस्ताक्षर रजिस्ट्रार तथा बैंक के शेयर अंतरण एजेंट के पास उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मिलने चाहिए ।
3) यदि कोई भी उपर्युक्त कॉलम खाली छोड़ा जाए या विवरण गलत पाए जाएं तो नामांकन अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

व्यक्तिगत सूचना, घोषणा पत्र एवं वचन पत्र

बैंक का नाम: **आन्ध्रा बैंक**

यहाँ पासपोर्ट आकार का फोटो लगाएं

_____2018 को उचित संलग्नकों सहित अभ्यर्थी द्वारा घोषणापत्र एवं वचनपत्र			
I		**अभ्यर्थी के व्यक्तिगत विवरण**	
	ए	पूरा नाम (बड़े अक्षरों में) पिता का नाम (पूरा नाम)	
	बी	जन्म-तिथि	
	सी	राष्ट्रीयता	
	डी	शैक्षिक योग्यताएं	
		(शैक्षिक/शिक्षावादि) (कृपया सूचना के समर्थन में प्रमाण-पत्रों की स्वसत्यापित प्रतियां संलग्न करें)	
		(शैक्षिक / व्यावसायिक) (कृपया सूचना के समर्थन में प्रमाण-पत्रों की स्वसत्यापित प्रतियां संलग्न करें).	
	ई	संबंधित पृष्ठभूमि और अनुभव बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण और अंतरण) अधिनियम 1980 की धारा 9(3ए) के अंतर्गत यथा अपेक्षित (कृपया बैंक के निदेशक से संबद्ध अपने अनुभव सूचित करें)	
	एफ	स्थायी पता	
	जी	वर्तमान पता	
	एच	ई-मेल पता दूरभाष नंबर (लैंडलाइन) दूरभाष नंबर (मोबाईल)	

	आई	(1) आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्थायी खाता नंबर (कृपया प्रति संलग्न करें) (2) आयकर मंडल / डिविज़न का नाम और पता जहाँ व्यक्तिगत कर विवरणियां दर्ज की जा रही हैं।	
	जे	संबंधित ज्ञान और अनुभव (बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अभिग्रहण एवं अतंरण) अधिनियम, 1980 की धारा 9(3-ए) का संदर्भ लें)	
	के	बैंक के निदेशक होने से संबंधित कोई अन्य सूचना	
II		**अभ्यर्थी के प्रासंगिक संबंध**	
	ए	बैंक से जुड़े रिश्तेदारों की सूची, यदि हो, (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(77) का संदर्भ लें) कंपनी (परिभाषाओं के विवरणों के विनिर्देश) नियम, 2014 [कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 और अनुसूची 1ए] के नियम 4 के साथ पठित ।	
	बी	संस्थाओं की सूची, यदि हो, जिनमें उनका हित माना जाता हो (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(49) और धारा 184 का संदर्भ लें) [कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 299(3)(ए) और धारा 300]	
	सी	संस्थाओं की सूची, जिनमें प्रस्तावित एवं विद्यमान बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 5(ई) के अंतर्गत उनका पर्याप्त हित है	
	डी	बैंक का नाम जिसमें वे बोर्ड के सदस्य हैं या रह चुके हैं (कार्यावधि के विवरण देते हुए जिसके दौरान ऐसा कार्यकाल था)	
	ई	उनके द्वारा या II(बी) एवं (सी) में सूचित संस्थाओं द्वारा बैंक से ली गई निधि एवं गैर-निधि सुविधाएं, यदि कोई हों ।	
	एफ	बैंक या किसी अन्य बैंक से अभ्यर्थी या II(बी) एवं (सी) में सूचित संस्थाओं द्वारा ली गई ऋण सुविधाओं में चूक के मामले, यदि हो	
III		**व्यावसायिक उपलब्धियों के रिकार्ड**	
	ए	व्यावसायिक उपलब्धियां (बैंक के निदेशक हेतु प्रभावित कर सकने वाली उपलब्धियों का विवरण दें)	

IV		**अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्रवाई, यदि हो**	
	ए	यदि अभ्यर्थी किसी व्यावसायिक संघ / निकाय का सदस्य है, उनके विरुद्ध लंबित या चल रही या अतीत में दोषसिद्धि की अनुशासनिक कार्रवाई, यदि हो, का विवरण और क्या उन्हें किसी समय किसी भी व्यवसाय में प्रवेश से प्रतिबंधित किया गया है।	
	बी	अभ्यर्थी और/या ।।(बी) एवं (सी) में सूचित संस्थाओं के विरुद्ध आर्थिक विधि और विनियमों के उल्लंघन के लंबित या चल रहे या अतीत में दोषसिद्धि के अभियोजन, यदि हो, के विवरण	
	सी	अभ्यर्थी के विरुद्ध लंबित या चल रहे या अतीत में दोषसिद्धि के आपराधिक अभियोजन, यदि हो, के विवरण	
	डी	क्या उम्मीदवार कंपनी अधिनियम 2013 [कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274] की धारा 164 के साथ पठित राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध तथा विविध उपबंध) योजना, 1980 के खंड 10 के अंतर्गत किसी अनर्हता का पात्र है ?	
	ई	क्या अभ्यर्थी या ।।(बी) एवं (सी) में सूचित संस्थाओं के विरुद्ध सरकारी विभाग या एजेंसी द्वारा कोई जांच हुई है ?	
	एफ	क्या अभ्यर्थी को किसी भी समय सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / आयकर/ विदेशी विनिमय / अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियम/विनियम/ विधान की अपेक्षाओं के उल्लंघन हेतु दोषी पाया गया है, यदि हाँ तो विवरण दें।	
	जी	क्या अभ्यर्थी / निदेशक अनुचित कारणों से किसी विनियामक यथा सेबी, इरडा, डीसीए, भारिबैं, फेमा, एमसीए, सिबिल आदि के ध्यान में आए हैं। (हालांकि अभ्यर्थी को कॉलम में विनियामकों के ऐसे आदेश और निष्कर्ष का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है जिन्हें पूर्णत: प्रत्यावर्तित / रद्द किया गया है, यह आवश्यक होगा कि इनका उल्लेख करें, यदि प्रत्यावर्तन /रद्दकरण गुणों के आधार पर न होकर तकनीकी कारणों से यथा क्षेत्राधिकार के सीमित होने या इसके अभाव में, आदि से हुआ है । यदि विनियामक का आदेश अस्थायी तौर पर आस्थगित किया गया है और अपील / न्यायालय कार्रवाई लंबित है तो इसका भी उल्लेख किया जाए ।	
V		सही एवं उचित माने जाने हेतु मद । से ।।। के संबंध में कोई अन्य प्रासंगिक स्पष्टीकरण / सूचना	

VI		क्या अभ्यर्थी ने अपनी वैयक्तिक क्षमता के अंतर्गत बैंक के साथ कोई व्यापार किया ? यदि हाँ, तो विवरण दें ।	
VII		क्या अपने कर्तव्यों के पालन में अभ्यर्थी / निदेशक किसी व्यक्ति या संस्था या बैंक या कंपनियों आदि के निर्देशों/अनुदेशों का पालन करेगा ? यदि हाँ, तो विवरण दें ।	

<u>घोषणा</u>

मैं _____ सुपुत्र / सुपुत्री / पत्नी श्री _____ यह पुष्टि करता/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी उत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है। मैं अपनी नियुक्ति के बाद ऊपर दी गई सूचना से प्रासंगिक सभी घटनाओं के संबंध में बैंक को यथाशीघ्र पूर्णत: सूचित करने का वचन देता/देती हूँ।

मैं प्रसंविदा प्रलेख निष्पादित करने का भी वचन देता/देती हूँ जिसे बैंक के सभी निदेशकों द्वारा निष्पादित किया जाना अपेक्षित है।

स्थान:

दिनांक : **अभ्यर्थी के हस्ताक्षर**

संलग्नक :

नोट :

1. जहाँ कहीं स्थान पर्याप्त न हो, कृपया उचित प्रति-संदर्भ सहित वर्णक्रम में अनुबंध के रुप में सूचना संलग्न करें।

2. प्रत्येक पृष्ठ (अनुबंध सहित) पर अभ्यर्थी द्वारा हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है।

नामांकन समिति के प्रेक्षण / अभ्युक्ति :

समिति सदस्य का नाम और हस्ताक्षर	समिति सदस्य का नाम और हस्ताक्षर	समिति सदस्य का नाम और हस्ताक्षर

स्थान :

दिनांक :

आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालय : डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004.

उपस्थिति स्लिप

असाधारण आम बैठक

दिनांक : सोमवार, 12 मार्च, 2018 को प्रात: 11.00 बजे

स्थान : आन्ध्रा बैंक प्रधान कार्यालय, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004

उपस्थिति पर्ची

(बैठक स्थल में प्रवेश करते समय सुपुर्द करनी है)

नाम (बड़े अक्षरों में) (शेयरधारक / प्रॉक्सी / अधीकृत प्रतिनिधि)			
शेयरों की संख्या			
पंजीकृत फोलियो संख्या (यदि अमूर्त नहीं हो)		**डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी** (यदि अमूर्त हो)	
शेयरधारक / प्राक्सी / उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

.....

आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालय : डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद-500 004, तेलंगाना

प्रवेश पास

(बैठक के दौरान अपने पास रखें)

असाधारण आम बैठक : सोमवार, 12 मार्च, 2018, प्रात: 11.00 बजे

नाम (बड़े अक्षरों में) (शेयरधारक / प्रॉक्सी / अधीकृत प्रतिनिधि)			
शेयरों की संख्या			
पंजीकृत फोलियो		**डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी**	
(यदि अमूर्त नहीं हो)		(यदि अमूर्त हो)	
शेयरधारक / प्राक्सी / उपस्थित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर			

शेयरधारकों/ शेयरधारक के प्रॉक्सी या प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि बैठक स्थल में प्रवेश हेतु उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची को, बैंक के पास पंजीकृत अपने नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप विधिवत् हस्ताक्षर करके, प्रवेश पास सहित प्रस्तुत करें। तथापि प्रवेश, यथा आवश्यक माने गए सत्यापन/जाँच की शर्त पर है। प्रवेश पास - शेयरधारक/ प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि को वापिस सौंप दिया जाएगा, जिसे बैठक की समाप्ति तक अपने पास रखना चाहिए । बैलट पेपर पास भाग बैलट पेपर प्राप्त करने के लिए सरेंडर (अभ्यर्पित) किया जाएगा । किसी भी परिस्थिति में, बैठक में प्रवेश हेतु कोई डूप्लिकेट उपस्थिति पर्ची जारी नहीं की जाएगी।

.....

आन्ध्रा बैंक

प्रधान कार्यालयः डॉ. पट्टाभि भवन

5-9-11, सैफाबाद,

हैदराबाद-500 004

प्रॉक्सी फार्म

(शेयरधारक द्वारा भरा एवं हस्ताक्षरित किया जाना है)

पंजीकृत फोलियों नं (यदि अमूर्त न हो)
डीपीआईडी नं
ग्राहक आईडी नं (यदि अमूर्त हो)
शेयरों की संख्या

मैं/हम_____ निवासी_____

जिला_____ राज्य_____ आन्ध्रा बैंक के शेयरधारक होने के नाते एतद्द्वारा श्री/श्रीमती_____ निवासी_____

जिला_____ राज्य_____ **या** इनके न आने पर श्री/श्रीमती_____ निवासी_____ जिला_____

राज्य_____ को आन्ध्रा बैंक के शेयरधारकों की सोमवार, 12 मार्च, 2018 को प्रातः 11.00 बजे आन्ध्रा बैंक प्रधान कार्यालय, डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद - 500004 में होने वाली असाधारण आम बैठक और उसके किसी स्थगन में मेरे/हमारे लिए और मेरी/हमारी ओर से वोट देने के लिए प्राक्सी के रूप में नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं ।

इस पर ----------2018 को ----------के दिन हस्ताक्षर किये ।

रु 1/- का राजस्व स्टांप

प्रॉक्सी शेयरधारक के हस्ताक्षर

शेयरधारक के हस्ताक्षर

नाम _____

पता _____

प्रथम नामित/एकमात्र

प्राक्सी फार्म हस्ताक्षर करने एवं जमा करने के अनुदेश :

1. प्राक्सी का कोई लिखित तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि,
 क) वह व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उनके या उनके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत् लिखित रूप में प्राधिकृत न हो ।
 ख) संयुक्त धारकों के मामले में वह पंजी में दर्ज प्रथम नामित शेयरधारक या उनके अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत् लिखित रूप में प्राधिकृत न हो ।
 ग) निगम निकाय के मामले में उसके अधिकारी या किसी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित और विधिवत् लिखित रूप में प्राधिकृत न हो । यह ध्यान दें कि उन्हें विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि / प्रॉक्सी नियुक्त करने हेतु अधिकार देने वाले संकल्प की एक प्रति संलग्न की जानी है, जो बैठक के अध्यक्ष द्वारा सही प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित हो ।

2. प्राक्सी की लिखत पर किसी ऐसे शेयरधारक के पर्याप्त हस्ताक्षर हों जो किसी कारणवश अपना नाम / अंगूठा-छाप लगाने में असमर्थ हों, तो उस पर निशान लगाएं और वह निशान किसी न्यायाधीश, मैजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार ऑफ अशुरेंसेस या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या आन्ध्रा बैंक के किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाए

3. प्राक्सी के साथ
 क) मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत यह हस्ताक्षरित किया गया हो अथवा,
 ख) नोटरी पब्लिक या मैजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित, मुख्तारनामा या प्राधिकार की प्रति, आन्ध्रा बैंक, प्रधान कार्यालय, शेयरधारक एवं निवेशक शिकायत कक्ष, डॉ. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद 500 004, में असाधारण आम बैठक प्रारंभ होने के **चार दिन** पहले यानी कि बुधवार, 07.03.2018 के कार्यसमय की समाप्ति सायं 5.00 बजे, को या इससे पहले जमा की जाए ।
 ग) आन्ध्रा बैंक के साथ संबद्ध मुख्तारनामा पहले से ही पंजीकृत होने पर, मुख्तारनामा की पंजीकरण संख्या और उसके पंजीकरण की तिथि दर्शायी जानी चाहिए ।

4. प्राक्सी का कोई लिखत तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि वह विधिवत् स्टांपित न हो तथा विनियम के फार्म 'बी' में न हो ।

5. बैंक में जमा करायी गयी प्राक्सी लिखत **अप्रतिसंहरणीय एवं अंतिम होगी**

6. वैकल्पिक रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में मंजूर प्राक्सी लिखत के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किये जाएंगे ।

7. प्राक्सी की लिखत निष्पादित करने वाले शेयरधारक को उस बैठक में व्यक्तिगत रूप से मतदान करने का हक नहीं होगा जिस बैठक से ऐसी लिखत संबंधित हो ।

8. जो व्यक्ति आन्ध्रा बैंक का अधिकारी या कर्मचारी है उस व्यक्ति को विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्राक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

9. प्रॉक्सी धारक प्रत्येक संकल्प "के लिए" अथवा "उसके विरुद्ध" मतदान कर सकता है ।

10. प्रॉक्सी फॉर्म में सभी परिवर्तन विधिवत् सम्यक रुप से अधिप्रमाणित होने चाहिए ।

ANDHRA BANK
Shareholders & Investors Relation Section
Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan,
5-9-11, Saifabad,
Hyderabad 500004, Telangana.

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that an Extraordinary General Meeting (EGM) of the shareholders of ANDHRA BANK will be held on Monday, **12th March, 2018,** at 11.00 A.M. at Andhra Bank Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500 004, to transact the following business:

Election of TWO Shareholder Directors of the Bank

To elect Two Directors from amongst Shareholders of the Bank other than the Central Government, in respect of whom valid nominations are received, in terms of Section 9(3)(i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as the "Act") read with The Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as the "the Regulation Act"), The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as the "Scheme") and Andhra Bank (Shares & Meetings) Regulations, 2003 (hereinafter referred to as the "Regulations") and Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and No. DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated 24.11.2016 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as 'RBI Notification') and further amendments thereto, Office Memorandum ref.no. F.No.16/83/2013-BOI dated 03.09.2013 from Government of India (GOI) and F No.16/51/2012-BO.I dated 28.04.2015 (the extant Govt. of India guidelines) read with Guidelines dated 25.03.2015 and dated 08.07.2016 issued by Government of India for consideration as Non-Official Directors of Public Sector Banks (hereinafter referred to "GOI Guidelines" and further amendments thereto.

"**RESOLVED THAT two Directors** elected from amongst shareholders, other than the Central Government, pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 read with relevant Scheme, Regulations and Notification made thereunder and RBI notification, be and are hereby appointed as the Director of the Bank to assume office from 14th March 2018 and shall hold office until the completion of a period of three years i.e., upto 13th March 2021."

By order of the Board of Directors
for ANDHRA BANK

Place: Hyderabad
Date: 25.01.2018

(Ruchi Rangari)
Company Secretary

NOTES:

1. **EXPLANATORY STATEMENT**
 The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business of the meeting is annexed hereto.

2. **VOTING RIGHTS**
 In terms of the provisions of sub-section (2E) of Section 3 of the Act, no shareholder of the Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank as on the Specified Date fixed for the purpose. It may be noted that the Central Government is not entitled to participate in the election of Director i.e., to Nominate, Contest and Vote.

 As per Regulation 68 of Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, in case of Poll each shareholder shall have one vote for each share held by him/her.

Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every Shareholder entitled to vote as aforesaid who not being a Company is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorised representative, or by proxy shall have one vote for each share held by him/ her.

Exercise of rights of joint holders:
As per Regulation 10 of the Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then **first named person is only entitled to attend the meeting and is only eligible to nominate, contest and vote in the meeting**.

3. SPECIFIED DATE

The Bank has fixed Friday, 09.02.2018 as the Specified Date for the purpose of determining the Shareholders entitled to participate in the Election i.e. to Nominate, Contest and Vote for the Election of Two Directors from amongst the Shareholders of the Bank other than the Central Government, as mentioned in the Notice.

4. APPOINTMENT OF PROXY

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY (OTHER THAN AN OFFICER OR AN EMPLOYEE OF THE BANK) TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting.

As per Regulation 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The Proxy form, in order to be effective, must be received at the Head Office of the Bank addressed to the Company Secretary, Shareholders & Investors Relation Section, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500004, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting. i.e., on or before the closing hours of the Bank, i.e., 5.00 p.m. of Wednesday**, 07th March, 2018.**

5. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at the Head Office of the Bank at the address given above, not later than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting. i.e., on or before the closing hours of the Bank, i.e. 5.00 p.m, of Wednesday**, 07th March, 2018.**

No person shall be appointed as an authorized representative who is an officer or an employee of Andhra Bank.

6. ATTENDANCE SLIP -CUM- ENTRY PASS

For the convenience of the shareholders, Attendance slip- cum- entry pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue and thereafter Entry Pass shall be issued to them. Proxy/ Authorised Representative of the shareholders should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as “Proxy” or “Authorised Representative” as the case may be. Entry Pass shall be surrendered to participate for voting at the meeting.

7. VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

In terms of Regulation 44(1) of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and compliance to the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 or amendments made thereto, the Bank is pleased to offer Remote e-voting facility to the shareholders of the Bank as an alternative mode of voting, besides Voting at the venue of the meeting for its Shareholders at the Extraordinary General Meeting, which will enable them to cast their votes electronically.

For this purpose, the Bank has appointed M/s. Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as Remote e-voting agency to provide the Remote e-voting platform for facilitating its Shareholders to vote electronically. The Bank has also appointed M/s. S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co., Company Secretaries, as the Scrutinizer for conducting the Remote e-voting process in a fair and transparent manner and for conducting the Voting at the venue of the meeting.

Remote e-voting is OPTIONAL. Please note that a Shareholder may participate in the EGM even after exercising his right to vote through Remote e-voting but shall not be allowed to vote again at the venue of the Meeting.

Instructions for members for voting electronically are as under:-

(i) Remote e-voting period begins at 10.00 AM on 09.03.2018 and ends at 5.00 PM on 11.03.2018 (both days inclusive). During this period, shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the Specified date, i.e., Friday, 09.02.2018, may cast their vote electronically. Remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

(ii) The shareholders should log on to the Remote e-voting website www.evotingindia.com.

(iii) Click on Shareholders/ Members.

(iv) Now Enter your User ID
- For CDSL: 16 digits beneficiary ID
- For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID
- Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

(v) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.

(vi) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company, then your existing password is to be used.

(vii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Members holding shares in Demat Form and Physical Form as on Specified Date, 09.02.2018
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Members who have not updated their PAN with the Bank/RTA /Depository Participant are requested to use the first two letters of their name and the 8 digits of the sequence number in the PAN field. • In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters. Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field.
Dividend Bank Details OR Date of Birth (DOB)	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank's / RTA's records in order to login. If both the details are not recorded with the depository or Bank / RTA, please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iv).

(viii) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.

(ix) Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for Remote e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

(x) For Members holding shares in physical form, the details can be used only for Remote e-voting on the resolutions contained in this Notice.

(xi) Click on the EVSN for the relevant <ANDHRA BANK> on which you choose to vote.

(xii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES" for voting. Select the option YES as desired to select the Candidate (Resolution).

(xiii) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.

(xiv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.

(xv) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

(xvi) You can also take out print of the voting done by you by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.

(xvii) If Demat account holder has forgotten the changed password then enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.

(xviii) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app m-Voting available for android based mobile. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store. Apple and Windows phone users can download the app from the App Store and the Window phone store respectively. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while voting on your mobile.

(xix) **Note for Non – Individual Shareholders and Custodians**

- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporate.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com; and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same

(xx) In case you have any queries or issues regarding Remote e-voting , you may refer the Frequently Asked Questions (" FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com under the help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com (CDSL Helpline No. 1800225533 and Contact Person Name is Mr. Rakesh Dalvi)

8. Voting Process on Monday, 12th March, 2018 (EGM Date) for those who have not cast their vote through Remote e-voting:

The Bank will arrange for voting at the meeting. The procedure of voting will be informed at the Meeting

The entire process of Election would be conducted by the Chief Returning Officer designated / appointed by the Bank, S N ANANTHASUBRAMANIAN & CO., one Shareholder Scrutinizer and Representative of Government of India, attending the meeting will act as an Observer overseeing the Elections.

9. RESULTS OF VOTING

The consolidated results of Remote e-voting and Voting at the Meeting will be hosted on the website of the Bank and on the website of the Remote e-voting agency, viz., CDSL and will be informed to the Stock Exchanges, within 48 hours of conclusion of the Meeting.

10. Note:

Information regarding Change of Address, Consolidation of Folios, Dematerialisation of Physical holdings, Lodgement of transfers and unclaimed or unpaid dividend, if any may also be given.

EXPLANATORY STATEMENT

In terms of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, as the non-government shareholding is more than 16% but not more than 32% of the total paid-up capital of the Bank, the Bank is entitled to appoint two Directors representing the shareholders of the Bank (other than the Central Government) on the Board of the Bank.

The Shareholders had elected and appointed Shri A. Krishnakumar and Shri G. Sivakumar as Directors with effect from 14.03.2015 and hold office till 13.03.2018.

Accordingly, with a view to fill in the vacancies, an Extraordinary General Meeting (EGM) of shareholders of the Bank is being convened to elect TWO Directors representing shareholders of the Bank (other than the Central Government).

The Shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations, as per the procedure detailed in the various and relevant Act / Scheme / Regulations / Notification, the relevant portions of which are indicated hereunder. Directors so elected shall assume office w.e.f 14.03.2018 for a period of three years upto 13.03.2021.

LEGAL PROVISIONS

The following table indicates the provisions contained in various Acts/ Scheme/ Regulations/ Notifications applicable in this regard:

ACT / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Banking Regulation Act, 1949	Section 16(1)	➢ Prohibition of Common Directors
	Section 20	➢ Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
	Section 5(n-e)	➢ Substantial Interest
The Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980	Section 3 (2E)	➢ Restriction on voting rights
	Section 9(3)(i)	➢ No. of directors to be elected by the shareholders
	Section 9(3A) (A) to (C)	➢ Special knowledge in certain fields
	Section 9(3AA) & Section 9(3AB)	➢ No person shall be eligible to be elected as a director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.
	Section 9(3B)	➢ Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act.
	Section 13(2)	➢ Obligation as to fidelity and secrecy

ACT / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
The Nationalised Banks (Management And Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980	Clause 9(4)	➢ Term of office of elected directors
	Clause 10	➢ Disqualifications from being elected as a Director of the Bank
	Clause 11	➢ Vacation of office of Director
	Clause 11A	➢ Removal from office of an elected Director
	Clause 11B	➢ Filling of casual vacancy in the office of the elected Director
	Clause 12(8)	➢ Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.
Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003	Regulation 10	➢ Exercise of rights of joint holders
	Regulation 61A	➢ Scrutineers at Poll
	Regulation 61B	➢ Manner of taking Poll and result thereof
	Regulation 63	➢ Directors to be elected at General Meetings
	Regulation 64	➢ List of Shareholders
	Regulation 65	➢ Nomination of candidates for election
	Regulation 66	➢ Scrutiny of nominations
	Regulation 67	➢ Election disputes
	Regulation 68	➢ Determination of voting rights
	Regulation 69	➢ Voting by duly authorized representative
	Regulation 70	➢ Proxies
RBI Notification No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and No. DBR. Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated 24th November 2016 and subsequent notifications.	Pursuant to Section 9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980	Fit and Proper criteria for elected directors on the Board of Nationalized Banks

ACT / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATIONS	PROVISIONS	SHORT PARTICULARS
Revised Guidelines issued by the Government of India approved by Appointment Committee of the Cabinet for appointment of part time non official director dated 25th March 2015 read with GOI letter F.No.16/51/2012-BO.I dated 28th April 2015 and dated 8th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013 and subsequent amendments thereto, if any,		These guidelines be kept in mind by the Nomination Committee of the Board while carrying out determination of Fit and Proper Status of the Candidates to be elected as Shareholder Director pursuant to Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.
RBI Master Circular dated 1st July 2015		Granting loans and advances to relatives of Directors
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015		Provisions relating to Independent Director

EXTRACTS OF RELEVANT ACTS / SCHEME / REGULATIONS / NOTIFICATIONS ETC.

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from The Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (hereinafter referred to as 'the Act'), the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 (hereinafter referred to as 'the Scheme') and the Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003 (hereinafter referred to as 'the Regulations') as well as RBI Notifications No. DBOD.No. BC.No.46 and 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 and No.DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011, and No. DBR. Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated 24th November 2016. Office Memorandum ref.no. F.No.16/83/2013-BOI dated 03.09.2013 and F. No.16/51/2012-BO.I dated 28.04.2015 and dated 8th July 2016 read with OM dated 3rd September 2013 (the extant Govt. of India guidelines) of Ministry of Finance posted on the Bank's website www.andhrabank.in. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Company Secretary, Shareholders & Investors Relation Section, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500004, on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. Friday 23rd February, 2018.

QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

(I) In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

- (A) have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely: -
 - i. agriculture and rural economy
 - ii. banking
 - iii. co-operation
 - iv. economics
 - v. finance
 - vi. law
 - vii. small scale industry
 - viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in, which would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank (RBI vide its circular no. DBR. Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated 24th November 2016 has extended the fields of specialization to include (i) **Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management (v) Business Management**, for persons who could be considered for appointment of Directors in the Bank)
- (B) represents the interest of depositors; or
- (C) represents the interest of farmers, workers and artisans.

(II) In terms of Section 9(3AA) of the Act, a candidate being a shareholder of the Bank and who desires to be a Director of the Bank should possess 'Fit and Proper status' pursuant to Reserve Bank of India's directives/notifications from time to time in this regard.

(III) Further, the elected director should execute the deed of covenants and is required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India in this regard.

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK

A. In terms of Clause 10 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:

- (a) if he/she has at any time being adjudicated as insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- (b) if he/she has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- (c) if he/she has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- (d) if he/she holds any office of profit under any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a Whole-time Director, including the

Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank.

And

B. If he/she is not found to be 'Fit and Proper' person in terms of notifications of Reserve Bank of India DBOD No. BC. No. 46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No. DBOD. BC. No. 95 / 29.39.001 /2010-11 dated 23.05. 2011 read with No. DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated 24th November 2016 and Office Memorandum ref.no. F.No.16/83/2013-BOI dated 03.09.2013 and F.No.16/51/2012-BO.I dated 28.04.2015 and 25.03.2015 forwarded by GOI letter dated 28th April 2015 and dated 08.07.2016 read with OM dated 03.09.2013 (the extant Govt. of India Guidelines) issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, Government of India, and extant Government guidelines, he is not found to be 'fit and proper' person, by the Nomination Committee of the Directors of the Bank.

TENURE

In terms of Clause 9(4) of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980, an elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election.

Provided no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

RBI 'FIT AND PROPER' CRITERIA GUIDELINES

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under the sub-sections (3AA) of Section of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 has issued notification DBOD.BC.No. 46 and 47/29.39.001/2007-08 dated November 01, 2007 laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Bank under the provisions of Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980.

Salient Features of the Notification

The Authority, Manner/ Procedure and Criteria for deciding the "Fit and Proper "status etc., are as under:

a) Authority:

All the nationalized banks are required to constitute a "Nomination Committee" consisting of a minimum of **three directors** (all independent/non-executive directors) from amongst the Board of Directors. The Board of Directors should also nominate one among them as Chairman of the Nomination Committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case of absence of any member already nominated, the board of directors may nominate any other independent director in his place for the ensuing meeting. At the time of constituting the Nomination Committee the Board can decide on its tenure.

b) Manner and procedure:

The nomination committee should undertake a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of existing elected directors/the person to be elected as a director under Sec 9 (3)(i) of the Act. For this purpose, the banks should obtain necessary information and declaration, in the format enclosed (Annexure-1), from the existing elected directors/persons, who file their nominations for election. The nomination committee should meet before the last date of acceptance of nominations in case of candidate to be elected and decide whether or not the person's candidature should be accepted based on the criteria mentioned below. The committee's discussions should be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting if done should also be noted in case of both existing and proposed Directors. Based on the information provided in the signed declaration, Nomination Committee should decide on the acceptance or otherwise of the candidate and may make references, where considered necessary to the appropriate authority/persons, to ensure their compliance with the requirements indicated.

c) Criteria

The nomination committee should determine the 'fit and proper' status of the existing elected directors/proposed candidates based on the broad criteria as mentioned hereunder:

(i)Educational qualification
(ii)Experience and field of expertise
(iii)Track record and integrity

(The above list is only illustrative and not exhaustive.)

The Nomination Committee should see whether the non-adherence to any of the above criteria would hamper the existing elected director/proposed candidate from discharging the duties as a director on the Board of the bank. Further, the candidate coming to the adverse notice of any authority/regulatory agency or insolvency or default of any loan from any bank or financial institution would make the candidate unfit and improper to be a director on the Board of a bank.

d) Other matters

It is desirable that it is ensured, in the public interest, that the elected directors execute the deed of covenants (as recommended by the Dr. Ganguly Group vide RBI circular DBOD. No.BC.116/08.139.001/2001-02 dated 20th June 2002 and also every year as on 31st March.

It is also mandatory that all the elected directors must furnish a simple declaration every year as on 31st March that the information already provided by them has not undergone any change and where there is any change, requisite details are furnished by the directors forthwith. If there are any significant changes, the nomination committee should undertake the due diligence exercise afresh and examine the 'fit and proper' status of the director.

GOI GUIDELINES DATED 25th MARCH 2015 & DATED 08th JULY 2016

The following criteria may be adopted for nomination of part- time non-official directors (NOD) on the boards of public sector banks/financial institutions etc.

1. General

a. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.

b. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualifications and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc., will be relied upon.

2. Experience

a. Persons with eminence special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, Risk Management, Industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.

b. Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of experience at Joint secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one year of retirement. The ex-CMDs/EDs will not be considered for appointment as NoD on the Board of the Bank from which they have retired. Serving CMDs/EDs of a PSB will not be considered for appointment as NoD on the Board of any other PSB.

c. Academicians/Directors of premier Management/Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.

d. Chartered Accountants with 20 years' experience (excluding audit experience) would also be preferred.

e. However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on the merits of the case.

f. As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST.

3. Educational Qualification

A NoD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

4. Criteria of age

The age of the Director, on the date of recommendation by Nomination Committee (Search Committee) should not be more than 67 years.

5. Work Experience

Professional academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

6. Disqualifications

(a) A Director already on a Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NoD in any other Bank/FI/RBI/Insurance Company.

(b) Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the Boards of the Banks/FIs/RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NoD, if they are not having any managerial control in such companies.

(c) No person may be re-nominated as a NoD on the Board of the Bank/FI/RBI/Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.

(d) A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in the Public Sector Bank as a Statutory Central Auditor.

(e) A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in the Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor.

7. Tenure

An NoD would not be considered for nomination as a Director on the Board of the Bank / FI / RBI / Insurance Company if such Director has already been a NoD/Shareholder Director on the Board of any other Bank / FI / RBI / Insurance company for six years, whether continuously or intermittently.

8. Professional Restriction

The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause (d) of the Nationalised Banks Scheme (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 may be separately examined.

9. Regional Representation

Efforts should be made to ensure representation of all the six zones of the country – North, South, East, West, Central and North-east on the boards of Public Sector Bank taken together.

INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS

The Register of Shareholders / Register of Members will be open for inspection by the Shareholders at the Head Office of the Bank on all working days (other than Second and Fourth Saturdays, Sundays & Bank holidays) between 3.00 p.m. to 5.00 p.m., except when the Register of shareholders is closed in terms of Regulation 12 of Andhra Bank (Shares & Meetings) Regulations. If any Shareholder requires a copy or computer prints of the register or part thereof, the same shall be supplied to him on pre-payment at the rate of Rs.5/- for every 1000 words or fractional part thereof, required to be copied.

LIST OF SHAREHOLDERS

To enable the Shareholders to contest the election, a complete List of Shareholders (in electronic form i.e., CD or such other media) as indicated in Regulation 64 of the Regulations, as of the Specified Date i.e., Friday, 09.02.2018 will be available at Head Office of the Bank at Shareholders & Investors Relation Section, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500004 till Friday, 23.02.2018 (last date for receipt of nominations). Shareholders desirous of having a copy can get it on a pre-payment of Rs.50000/-(Rupees Fifty Thousand) by way of demand draft/pay order of a Scheduled Bank, in favour of '**Andhra Bank**' payable at Hyderabad.

NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION

Validity of Nominations

In terms of Regulation 65 of the Regulations and in terms of Notifications of Reserve Bank of India, DBOD No. BC. No. 46 & 47/29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with No. DBOD.BC.No.95/29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011 and No. DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated 24.11.2016 of Reserve Bank of India (hereinafter referred to as 'RBI Notification') and further amendments thereto, Office Memorandum ref.no. F.No.16/83/2013-BOI dated 03.09.2013 and letter F.No. 16/51/2012-BO.I dated 28.04.2015 (the extant Govt. of India guidelines) read with Guidelines dated 25.03.2015 and dated 08.07.2016 issued by Government of India for consideration as Non-Official Directors of Public Sector Banks (hereinafter referred to "GOI Guidelines" and further amendments thereto and any other applicable provisions of various Acts, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

(a) He/she is a shareholder holding not less than 100 (One Hundred) shares in the Bank as on Friday, 09.02.2018, being the Specified Date for participating in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of General Meeting, i.e. Monday, 12.03.2018, and thereafter till the end of his tenure, if he/ she is elected.

(b) as on Friday, 23.02.2018, (the last date for receipt of nominations) he / she is not disqualified to be a Director under the Act/ Regulation Act/Scheme/Regulation/RBI Notifications;

(c) the nomination is in writing signed by at least **one hundred shareholders** entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be despatched to the Head Office of the Bank addressed to the Company Secretary, Shareholders/ Investors Relation Section, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500004, and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company subject to receipt of the same on or before the last date fixed for the purpose;

(d) The valid nominations by the Shareholders (Minimum 100) is accompanied by a declaration by the candidate as per the specimen form of nomination and declaration furnished in this notice duly signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or any Nationalised Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified from being a Director, either under the Banking Regulation Act or the Act or the Scheme or the Regulations or RBI Notification or GOI Guidelines.

(e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the **proforma annexed** (The proforma is also available on the Bank's website www.andhrabank.in under the Tab 'Investor Corner').

SUBMISSION OF NOMINATION FORMS

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the Shareholders, other than the Central Government and being qualified as per the conditions mentioned above may please submit:

a) Duly filled in Declaration Form;

b) Valid Nominations from minimum of hundred Shareholders entitled to participate in the election;

c) Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, viz. Self-attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc.

in the formats annexed to the Notice, in a sealed envelope to the Company Secretary, Merchant Banking Division, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500004, together with connected documents, complete in all respects, on a working day on or before the closing hours of the Bank i.e., 5.00 PM on Friday**, 23.02.2018** (i.e. not less than 14 days before the date of General Meeting) failing which, the nominations are liable to be rejected.

SCRUTINY OF NOMINATIONS

(i) Nominations shall be scrutinised by the Nomination Scrutiny Committee of the Bank on Monday, 26.02.2018, the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason(s) thereof.

(ii) Nominations shall also be subjected to scrutiny to determine their 'Fit & Proper Status' by the Nomination Committee of the Board in terms of Reserve Bank of India Notifications/ Guidelines, the Nomination Committee may also keep in mind for consideration, the Criteria laid down by the Central Government as applicable for non-official director in Public Sector Banks as issued by Government of India.

(iii) If there is only ONE or TWO valid nominations for the TWO vacancies to be filled-in by the election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his/her name and address shall be published as so elected. In such an event, the Extraordinary General Meeting will stand cancelled. However, the elected candidate/s shall assume office only w.e.f 14.03.2018 and shall hold office until the completion of a period of three years from the date of assumption i.e., up to 13.03.2021.

(iv) If valid nominations are more than TWO, the names of the candidates shall be published in the newspapers and election will be held and candidates having the majority of the votes i.e., aggregate of remote e-voting and Voting at the meeting will be deemed to have been elected and their names will be announced and published in newspapers.

(v) The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the Nomination Committee of the Board seek further information, documents from the candidates in support of his / her candidature.

ELECTION DISPUTES

Election Disputes, If any, will be settled as per Regulation 67 of the Regulations.

WITHDRAWAL OF CANDIDATURE

If any candidate desires to withdraw his nomination, he would be entitled to do so **on or before 05.00 p.m. on Thursday, 08th March, 2018 by sending a signed letter addressed to** Company Secretary, Shareholder/Investor Relation Section , Andhra Bank, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500004 or sending scanned and signed letter over e-mail at mbd@andhrabank.co.in OR alternatively on rayar@andhrabank.co.in

EXTRACTS

Extracts of the relevant portions of the applicable Act / Scheme/ Regulations / Notification/ GOI Guidelines are posted on Bank's website: www.andhrabank.in for the benefit of Shareholders. Shareholders desirous of contesting elections may download the same or write to the Company Secretary of the Bank at mbd@andhrabank.co.in and obtain the same.

INTEREST OF DIRECTORS

Directors who file their nominations may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid items of business.

By order of the Board of Directors
for ANDHRA BANK

Place: Hyderabad
Dated: 25.01.2018

(Ruchi Rangari**)**
Company Secretary

DECLARATION
(BY THE CANDIDATE)

(Refer Regulation 65 of the Regulations)

I, _____ son / daughter / wife of _____, resident of _____ hereby confirm that:

a. I am a shareholder holding _____ equity shares of Rs.10/- each of the Bank as on Friday, 09.02.2018, i.e., the Specified Date for participating in the election, (to nominate / to contest) in the elections and will hold a minimum of 100 equity shares till the completion of election or till the end of my tenure, if elected; and

b. *I have special knowledge or practical experience in *(i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance, (vi) law, (vii) small scale industry, or any other matter the special knowledge of IT/ Payment & Settlement Systems/ Human Resources/ Risk Management/ Business Management etc and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India, would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors, **or** farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials; and
(* Delete/strike off whichever is not applicable)

c. I accept the nominations numbering _____; and

d. I am willing to contest for the election of Director of Andhra Bank; and

e. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1980 and the Andhra Bank (Shares and Meetings) Regulations, 2003, relevant Notifications issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non Official Directors of Public Sector Banks and

f. I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013 and

g. I neither hold any office of profit nor an employee of any Nationalised Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any subsidiary bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959; and

I further declare that

h. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors; and
i. I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; and
j. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other court; and
k. I am not connected with any hire-purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities and I am not a MP/ MLA/ MLC/ Stock Broker.
l. I have not been a Director on the Board of any Public Sector Bank or Financial Institution or RBI or Insurance Company in the past, under any category for two terms or six years, whichever is longer and whether continuously or intermittently; and
m. I have not been a Director on the Board of this Bank, in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer; and

n. I will severe professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and

o. I am not a partner in any Chartered Accountant Firm currently engaged in any Public Sector Bank as a Statutory Central Auditor; and

p. I am not a partner in any Chartered Accountant Firm currently engaged in Nationalised Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor; and

q. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and

r. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank; and

s. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete, vide enclosed PDU Form, i.e. Personal Information, Declaration and Undertaking; and

t. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank.

u. I give below the details of my present as well as past directorship details in other companies/ banks:

Name of the Company/ Bank	Directorship details viz tenure, period etc

(add additional sheets if necessary)

v. I enclose my personal details which are to the best knowledge and belief true and complete in all respects; and

Name of the Shareholder	
Signature of the Shareholder	
Number of Shares	
Regd. Folio No (If not dematerialised)	
DP ID No. & Client ID No (if dematerialised)	
Place	
Date	

The above declaration was signed before me.

Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or an officer of the Reserve Bank of India or Andhra Bank or any Nationalised Bank.

Signature with Seal

Name

Date

NOMINATION FORM

(By the Shareholder)

[Refer Regulation 65(d) of the Regulations]

To
Andhra Bank,
Shareholders & Investors Relation Section
Head Office Dr. Pattabhi Bhavan
5-9-11, Saifabad
Hyderabad-500 004.

Sirs,

Nomination for election of a Director

With reference to your Notice dated 25.01.2018, I _____ a shareholder of Andhra Bank holding _____ equity shares of Rs.10/- each as on Friday, 09.02.2018 (being the Specified Date) considered for participating (nominate / contest) in the election), do hereby nominate Shri/Smt _____ son / daughter / wife of _____ residing at _____ for being elected as a Director of Andhra Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9 (3) (i) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980, at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on **Monday, 12.03.2018**, at Hyderabad.

Name	
Signature	
Number of Shares Held	
Regd. Folio No (If not dematerialised)	
DP ID No. & Client ID No (if dematerialised)	
Place	
Date	

Notes:

1) In case nomination is made by a shareholder who is a Body Corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed by the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.

2) Signatures of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signatures available with the Registrar & Share Transfer Agents of the Bank.

3) If any of the columns above is left blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.

PERSONAL INFORMATION, DECLARATION AND UNDERTAKING

NAME OF THE BANK : **ANDHRA BANK**

AFFIX PASSPORT SIZE PHOTO HERE

Declaration & Undertaking by the Candidate with enclosures as appropriate as on _____2018			
I		**Personal details of the Candidate**	
	a	Full Name (in capital letters) Father's Name (in Full)	
	b	Date of Birth	
	c	Nationality	
	d	Educational Qualifications	
		(Educational/ academic) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
		(Educational/ professional) (Please attach self attested copies of the certificates supporting the information).	
	e	Relevant Background and Experience (As required under Section 9(3A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980. (Please indicate your experience relevant to the Directorship of the Bank)	
	f	Permanent Address	
	g	Present Address	
	h	E-mail Address Telephone Number (Landline) Telephone Number (Mobile)	
	i	(1) Permanent Account Number under the Income Tax Act (Please enclose a copy) (2) Name and Address of the Income Tax Circle/Division where personal tax returns are being filed.	
	j	Relevant knowledge and experience (Refer Section 9(3-A) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1980	

	k	Any other information relevant to Directorship of the Bank	
II		**Relevant Relationships of Candidate**	
	a	List of Relatives, if any who are connected with the Bank (Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013 read with Rule 4 of Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014 [Section 6 and Schedule 1A of Companies Act, 1956]	
	b	List of entities, if any in which he/she is considered as being interested (Refer Section 2(49) and Section 184 of the Companies Act, 2013) [Section 299(3)(a) and Section 300 of the Companies Act, 1956]	
	c	List of entities in which he/she is considered as holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne) of the Banking Regulation Act, 1949 proposed and existing	
	d	Name of the Bank in which he/she is or has been a Member of the Board (giving details of period during which such office was held)	
	e	Fund and non-fund facilities, if any, presently availed of by him/her and/or by entities listed in II (b) and (c) above from the Bank	
	f	Cases, if any, where the Candidate or entities listed in II (b) and (c) above are in default or have been in default in the past in respect of credit facilities obtained from the bank or any other bank.	
III		**Records of professional achievements**	
	a	Professional achievements (Please furnish the details of the achievements which may have a bearing on the directorship of the Bank)	
IV		**Proceedings, if any, against the Candidate**	
	a	If the candidate is a member of a professional association/body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against him/her or whether he/she has been banned from entry of, at any profession/occupation at any time.	
	b	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate and/or against any of the entities listed in II (b) and (c) above for violation of economic laws and regulations	
	c	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against the Candidate	
	d	Whether the Candidate attracts any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013 [Section 274 of the Companies Act, 1956] read with Clause 10 of the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous provisions) Scheme, 1980	

	e	Has the Candidate or any of the entities at II (b) and (c) above been subject to any investigation at the instance of Government Department or Agency?	
	f	Has the Candidate at any time been found guilty of violation of rules/regulations/ legislative requirements by customs/ excise /income tax/foreign exchange /other revenue authorities, if so give particulars	
	g	Whether the Candidate /Director had at any time come to the adverse notice of a Regulator such as SEBI, IRDA, DCA, RBI, FEMA, MCA, CIBIL etc. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by Regulators which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc. and not on merit. If the order of regulator is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
V		Any other explanation / information in regard to items I to III and other information considered relevant for judging 'Fit and Proper'.	
VI		Has the candidate in his / her individual capacity undertaken any business with the Bank? If so, give particulars	
VII		In carrying out his / her duties, will the candidate / director be acting on the directions or instructions of any individual or institution or bank or companies etc ? If so, give particulars.	

Undertaking

I _____ Son/ Daughter / Wife of Shri _____confirm that the above information is to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of all events which take place subsequent to my appointment which are relevant to the information provided above.

I also undertake to execute the Deed of Covenant required to be executed by all Directors of the Bank.

Place :
Date :

Signature of the Candidate

Enclosures:

Note:

1. Wherever space is not sufficient, please attach the information as annexures in chronological order and with appropriate cross reference.
2. Each page (including annexures) is required to be signed by the candidate.

Observations / Remarks of the Nomination Committee:

Name & Signature of the Committee Member	Name & Signature of the Committee Member	Name & Signature of the Committee Member

Place :

Date :

Andhra Bank
Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad 500 004.

ATTENDANCE SLIP
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
Date: Monday, 12th March, 2018 at 11.00 A.M.
Place: Andhra Bank Head Office, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500004

ATTENDANCE SLIP

(to be surrendered at the time of Entry to the Venue)

Name in Block Letters (Shareholder/Proxy/Authorised Representative)			
Number of Shares			
Regd. Folio No. (If not dematerialised)		**DP ID & Client ID** (If dematerialised)	
Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			

.....

Andhra Bank
Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500 004,

ENTRY PASS
(to be retained throughout the meeting)
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING **Date:Monday,12th March, 2018,11.00 A.M.**

Name in Block Letters (Shareholder/Proxy/AR)			
No. of Shares			
Regd. Folio		**DP ID & Client ID**	
(If not dematerialized)		(If dematerialised)	
Signature of the Shareholder/ Proxy/Representative present			

Shareholders / Proxy or Authorised Representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, alongwith the Entry Pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. The Entry Pass– will be handed back to the shareholders/Proxy/Representatives, who should retain it till the conclusion of the meeting Under no circumstances, any duplicate Attendance Slip-cum-Entry Pass will be issued at the entrance to the meeting.

.....

Andhra Bank
Head Office: **Dr. Pattabhi Bhavan**
5-9-11, Saifabad,
Hyderabad-500 004

PROXY FORM
(To be filled in and signed by the Shareholder)

Regd. Folio No. (if not Dematerialised)
DP ID No.
Client ID No. (if Dematerialised)
No. of shares

I / We _____ resident/s of _____ in the District of _____ in the State of _____ being a shareholder / shareholders of Andhra Bank hereby appoint Shri / Smt. _____ Resident of _____ in the District of _____ in the State of _____ or failing him, Shri / Smt _____Resident of _____in the District of _____ in the State of _____ as my / our proxy to vote for me / us and on my / our behalf at the Extraordinary General Meeting of the shareholders of Andhra Bank to be held on Monday, 12th March, 2018 at 11.00 A.M. at Andhra Bank Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad – 500004 and at any adjournment thereof.

Signed this _____day of_____2018

Revenue Stamp Re.1/-

_____ _____

Signature of Proxy
Name: _____
Address: _____

Signature of first named / sole shareholder

INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. No instrument of proxy shall be valid unless,
 a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing;
 b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing;
 c) in the case of a body corporate, signed by the duly authorised representative or an attorney duly authorised in writing.
 It is to be noted that a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative/ power to appoint a proxy, certified to be true copy by the Chairman of the meeting is to be attached.

2. An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of Andhra Bank.

3. The proxy together with
 a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at Andhra Bank, Merchant Banking Division, Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad-500 004, not less than **FOUR DAYS** before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank i.e. 5.00 p.m. on Wednesday**,** 07.03.2018**.**
 c) in case the relevant Power of Attorney is already registered with Andhra Bank, the registration number of the Power of Attorney and the date of such registration may be mentioned.

4. No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped and in Form “B” of the Regulations.

5. An instrument of proxy deposited with the Bank **shall be irrevocable and final**.

6. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

7. The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Extraordinary General Meeting to which such instrument relates.

8. No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of Andhra Bank.

9. The proxy holder may vote either “FOR” or “AGAINST” the each resolution.

10. All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.

To

यदि सुपुर्द नहीं किया गया हो तो, कृपया निम्न को लौटाएँ :

आन्ध्रा बैंक

शेयरधारक एवं निवेशक संबंध कक्ष

प्रधान कार्यालय, डॉ. पट्टाभि भवन

5.9.11, सैफाबाद

हैदराबाद - 500 004, तेलंगाना

If Undelivered, Please return to:

ANDHRA BANK

Shareholders & Investors Relation Section,
Head Office, Dr. Pattabhi Bhavan,
5-9-11, Saifabad,
Hyderabad - 500 004, Telangana.

आन्ध्रा बैंक

Andhra Bank

(A Govt. of India Undertaking)

प्रधान कार्यालय : डा. पट्टाभि भवन, 5-9-11, सैफाबाद, हैदराबाद – 500 004.

Head Office: Dr. Pattabhi Bhavan, 5-9-11, Saifabad, Hyderabad - 500 004.

Print@ Karshak: 040-27618261